

होलकर हिन्दी प्रथमाला का १६ वाँ पुण्य

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

कस्तूरमल वांठिंया ।

प्रकाशक

“श्रीमध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति”

इन्दौर

प्रथम संस्करण	}	१६२४ ई०
१०००		

{	मूल्य ३
	१

प्रकाशक—

“श्रीमध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति”

इन्दौर ।



मुद्रक—

रित्यदास धार्दिती,

“दुर्गा प्रेस”

मं० ४, चोरबगान,

कालकत्ता ।

समर्पण

मारवाडियोंमें विद्यात
मेसर्स विडला ब्रदर्स लिमिटेड

के स्वामी

श्रीमान् शाहू रामेश्वरदासजी विडला

को
सादर समर्पित

लेखक



द्वेषोपहार



भूमिका



ज जनताके हाथोंमें आज अपने परिश्रमका तृतीय उपहार समर्पित करते हुए, मैं इस पुस्तकाके सम्बन्धमें दो शब्द कहनेकी और क्षमा चाहता हूँ।

सन् १९१९ में मुझे इन्डौरके कामर्स और इण्डस्ट्री विभागमें चेम्पर आफ कामर्सके मन्त्रित्वकी उम्मेदवारी करनी पड़ी थी। मेरी नियुक्तिकी हुजूर विनती भी पेश हो चुकी थी। परन्तु इन्डौरके परिषद और हिन्दुस्थानी दलोंकी प्रतिद्वन्द्विताके कारण मेरी हुजूर विनती फाइलों हीमें रह गई। उसी समय घर्हाँसे एक व्यापारी मासिक पत्रकी भी योजना की गई थी। और उसके हलकारे सरूप कम्पनी आइनके आधारपर लिखा हुआ मेरा “कम्पनियोंका कारोगार” शीर्षक एक ट्रैक्ट छपा था। हिन्दीमें उस समय ‘कम्पनियोंके कारोगार, पर कोई भी पुस्तक नहीं थी। हालाँकि अगरेजी नहीं जाननेवाले हजारों ही नहीं वरन् लाखों मनुष्य कम्पनियोंके शेअरोंका व्यापार किया करते थे। उक्त ट्रैक्ट यद्यपि इस कमीको पूरा करनेगाला नहीं कहा जा सकता था, तथापि फिर भी उसका ‘स्वार्थ’ आदि सामयिक पत्रोंने अच्छा स्वागत किया था। उसी समय मैंने इस ‘विषयकी सरल सुयोग्य भाषामें जहाँ तक हो, सके

सम्पूर्ण पुस्तक भेट करनेकी भी इच्छा जाहिर की थी । इस विषयकी सामग्री इकट्ठी होती गई, परन्तु कई कारणोंसे सकलित नहीं की गई । कई सज्जनोंकी 'कम्पनियोंके कारोबार' के लिये माँगें भी आई, परन्तु मेरे पास उसकी एक भी प्रति नहीं होनेसे इस विषयमें सिवा चुप साधनेके और कुछ उपाय न था । इसपर घर्मईके जीवनने मेरे साहित्यके कामको एक प्रकारसे बन्द सा कर दिया । मैं इन्दौरसे घर्मई चला आया था ।

स्वास्थ्यकी गड़बड़ और अन्य पारिवारिक कारणोंसे जब मुझे घर्मई छोड़कर अपने देशी राजपूताना स्वदेशी स्टोर कं०लि० के मैतेजरका भार उठाना पड़ा, तो उस समय भी इस कार्यके फलीभूत होनेकी आशा न रही । ज्योंकि इस कम्पनीका सारा हिसाब हिन्दीमें रखनेका मैंने निश्चय किया था । और हिन्दी एवम् अङ्गरेजीमें हिमाय कितावसे भिन्न सहायक मिलना एक प्रकारसे असम्भव था । दैचवशात् और कुछ कार्यके विशेष भारके कारण मुझे १॥ महीने तक, फिर विस्तरेकी शरण लेना पड़ा, और उसी असेंमें तब मैंने अपने इस सकल्यको पूरा करनेका निश्चय किया । परमात्माकी छुपासे वह पूरा हो गया । यद्यपि इस विषयकी अगरेजीकी "कपनी मन्त्रित्व" कीसी हिन्दीमें पुस्तक लिखने और उसके परिणामोंरूप भारतीय-कम्पनी आईनका हिन्दी अनुवाद देनेकी मेरी उत्कष्ट अभिलाषा थी, परन्तु जब तक यह पूर्ण न हो तब 'तक जो बन सका वही भेट कर देना ठीक समझकर यह पुस्तक भेटकी ही । आशा है इसे विह जनता अवश्य अपनावेगी ।

भारतवर्ष हम भारतीयोंका देश है। परन्तु यहाँ पर भी हम विदेशी हैं। हमें अपना कारोबार अधिकतर विदेशी भाषा हीमें रखना पड़ता है। यही हाल कम्पनी कारोबारके सम्बन्धमें है। जो कागजात कम्पनी रजिस्ट्रारको, प्रत्येक कम्पनीको भेजना आवश्यक होता है, उन सदका अंगरेजी हीमें होना अनिवार्य है। देशी भाषाओंमें घे स्वीकृत हो नहीं किये जाते। इतना ही नहीं परन्तु यदि उनका अंगरेजी उल्था करके रजिस्ट्रारके यहाँ पेश किया जाय तो वह उल्था ही मूल कागज समझा जाता है। देशी रियासतोंमें भी अब सब तरफ कम्पनी-आइन स्वीकृत किया जा रहा रहा है। उसमें अलवक्ता अंगरेजीके साथ देशी भाषायें भी स्वीकृत कर ली गई है। परन्तु इससे विशेष कुछ नहीं किया जाता। आडोटरके नियम ज्योंके त्यों उद्धृत कर दिये गये हैं, परन्तु आज तक किसी रियासतने आडीटरोंके तैयार करनेके सम्बन्धमें चेष्टा नहीं की। सरकारने भी इस सम्बन्धमें अभीतक जैसी चाहिये वैसी चेष्टा नहीं की है। वर्षई कलकत्ता आदि प्रधान शहरोंको छोड़कर जहाँ कि लेडन पास हिसाब परीक्षक मिल सकते हैं, अन्यत्र सिवा कुछ लोगोंको (Government certified Auditor) नियत करनेके और कुछ नहीं किया है। हाँ, पिछले पाँच वर्षोंसे “वर्षईमें अकाउण्टसी डिप्लोमावॉर्ड” स्थापित हुआ है। जिसमें पास शुदा विद्यार्थियोंको तोन वर्ष तक अपरेंटिसके तौरपर किसी लेडन पास शुदा अकाउण्टके यहा काम करनेपर ‘‘हिसाब परीक्षक’’ को प्रमाण पत्र मिल जाता है। परन्तु ये

सब हिसाब-परीक्षक , अंगरेजी हिसाब हीकी , धारीकियों जानते हैं । देशी पद्धतिसे हिसाब कैसे रखा जाता है, वह इन्हें ठीक ठीक नहीं मालूम होता । और न इन लोगोंको देशी भाषाओं हीका विशेष परिचय होता है । यह कह देना कि देशी हिसाब बिलकुल गँवारू है । ठीक उतना ही सत्य है, कि जितना भारतीयोंको असम्भव कहना सत्य है । जिस समय यूरोप टेलीपर, इंटोंपर हिसाब रखा करता था, उस समय हमारे इस देशमें विदेशी विनिमयके, साम्बेके, कन्साईनमेंट आदिके हिसाब युक्तियुक्त रखते जाते थे । देशी और विदेशी हिसाब-पद्धतिकी तुलना करना इस भूमिकाका उद्देश्य नहीं है । अलवत्ता यह बात सत्य है कि, हम भारतीय, जमानेके साथ चलनेमें पछाड़ खा चुके हैं, और फिर भी खा रहे हैं । जमानेके साथ हम तब ही चल सकते हैं कि, जब हम पूर्णतः सचेष हों । देशी-पद्धतिसे किसी भी प्रकारके हिसाब रखनेमें अड़चन नहीं आ सकती । केवल हमारी चेष्टा की जरूरत है । यदि हम आइनको इस प्रकार परिवर्तित करा दें कि, जिसमें देशी भाषाओंको स्वीकार कर लिया जाय, और विदेशियोंके हिसाबोंके अलावा सब हिसाब देशी भाषा हीमें रखना अपना कर्तव्य समझें, तो हमारी इस विषयमें भी उन्नति दूर नहीं है ।

अशुद्धि	४७	पंक्ति	शुद्धि
सिस्सों	५८	१७	हिस्सों
लिये	५८	२२	लिये ये
नर्स	५९	१४	नरी
स्पष्ट	६३	२१	ट्रस्ट
मैत्रि	६७	१४	मैं
कारण	७५	१	काफी
आवश्यकता अशातीत	७६	१५	आवश्यकता से आशातीत
नं० ४ के	८०	१	नं० ६ के
एड्हेसिव	८१	७	एड्हेसिव
होटरोंके सभी	८१	१३	होटरोंको सूचों
उसको	८१	२०	उसके
डीडका	६३	यगलमें	डीडकी रसीदका
जाना	६५	१	जाता
ट्रास्मीशन	६६	२	ट्रास्मीशन
(Bill)	६६	७	(Will)

नोट—चकाया हिस्सोंके टिकटका नमूना, ६४ की जगह भूलसे पृष्ठ १२० में लग गया है अतः पाठक इसे सुधार कर पढ़े।

व्यापारि	पृष्ठ	पक्षि	शुद्धि
Rs 5/-	३८	४	Rs 3/-
Name ^१	२१	१६	Name ^१
१०६. फलगनीकी पूँजीमें २१००	२०	१०६ में	
दिस्सेशारके उस दर्जे सो ४६	१६	दिस्सेशार उसके दर्जे	
धूम्कर नहीं करेगा ४७	२१	धूम्कर करेगा	
दाइरेक्टरोंका	४८	३	हिस्सेदारोंका
१११४	४८	२०	१६१३
नियमों	४८	२०	नियमों
यतौर	४६	१०	और जो
शाहादतके	४६	१०	शाहादत यतौर
आदि	५१	२	आदिका
पते व्यौरे	५१	८	पते
पूँजीमें	५२	१५	पूँजीमें से
कभी उनपर	५३	२	उनपर
सब हिस्सोंके सामीक्षा ५३	१	सबकी	
सावा सभा	५३	६	ऐसी सभा
Inability	५६	२१	Ability
serves	५७	१	series
interest	५७	२	inter &c
फ्रिफरेंस	५७	६	प्रफरेंस
अव	५७	२२	सब

अशुद्धि	पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
सिस्सों	५८	१७	हिस्सों
लिये	५८	२३	लिये ये
नर्स	५६	१४	नरी
स्पष्ट	६३	२१	ट्रस्ट
मैंने	६७	१४	मैं
कारण	७६	१	काफी
आवश्यकता अशातीत	७६	१५	आवश्यकतासे आशातीत
नं० ४ के	८०	१	नं० ६ के
एंडसिव	८१	७	एंडहेसिव
होट्टरोंके सभी	८१	१३	होट्टरोंको सूचो
उसको	८५	२०	उसके
डीडका	९३	वग़लमें	डीडकी रसीदका
जाता	९५	१	जाता
ट्रास्मीशन	९६	२	ट्रास्मीशन
(Bill)	९६	७	(Will)

नोट—चकाया हिस्सोंके टिकटका नमूना, ६४ को जगह भूलसे पृष्ठ १२० में लग गया है अतः पाठक इसे सुधार फर पढे।



॥ श्रीरामजे ॥

कम्पनीव्यापार प्रवेशिका ।

फहुला॑ खण्डु

१०५३

कम्पनोको परिभाषा ।



स्तुत साम्बेदारोका नाम ही कम्पनी है । अर्थात् जब साम्भियोंको सल्ला १० अथवा २० से अधिक हो जाती है । तब वह साम्बा रजिस्ट्री कराना पड़ता है और रजिस्ट्री किये हुए साम्बे ही को हम सब लोग कम्पनी कहते हैं । कम्पनीसे साधारणत यह भी समझा जाता है कि, इसकी जोखम परिमित है । अस्तु पहले इसके कि कम्पनी क्या है और कैसे घनाई जा सकती है, हमारे लिये यहाँ यह जानना उपयोगी होगा कि, ऐसी धृहत् साम्बेदारी घनानेके कारण क्या हैं? और कम्पनी-आइनके अनुसार घनी हुई ये कम्पनियाँ उनसे किन घातोंमें अच्छी और किन घातोंमें दुरी हैं?

कम्पनियोंका आरम्भ-काल आदि ।

इस ससारमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसमें गुण और

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

दोप दोनों न हों। जिस पदार्थमें, जिस संगठनमें, ये दोनों वातें न पाई जायें, उसे हम लोग नहीं अपनाते। इन्हीं गुण दोषोंका तारतम्य एकके बाद दूसरी चीजका आविष्कार कराता है। जमाना उन्नतिकी ओर प्रगति कर रहा है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि, प्रत्येक सुधार अन्तिम-सुधार ही है। समयके साथ साथ उस सुधारका भी सुधार आवश्यक हो जाता है। वस्तुत यह साझे भी पद्धति भी व्यापारकी किसी जमानेकी असुविधाओंको दूर करनेके लिये आविष्कृत हुई थी। समयने इस सुधरी हुई पद्धतिमें भी, अब सुधार आवश्यक कर दिया है। ससारके आदिमें किसी भी प्रकारका व्यापार न था। यह इतिहासज्ञोंका अनुमान है। परन्तु सभ्यताके साथ साथ जैसे जैसे मनुष्यकी आवश्यकताएँ बढ़ती आई हैं, वैसे ही वैसे व्यापारका भी विकास होता आया है। पहले तो इसका रूप केवल अदला बदली (Barter) था। परन्तु जब पैसे (मुद्रा) का आविष्कार हुआ, तबसे इस अदला बदलीके व्यापारने परीद-विक्रीका रूप धारण किया है। इतने पर भी यह तबतक गाँवके गाँव ही का था। न तो कोई तब अपने गाँवसे परगाँवमें चीज बेचने जाता था, और न परीदने। परन्तु दिन प्रति दिनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओंने व्यापारको-अन्तर ग्रामीण पीछे अन्तर-नागरिक (Inter municipal) अन्तर-देशीय (Inter-state) और अब अल्पमें अन्तर-राष्ट्रीय एवं मूल्यव्यापी बना दिया है। इसी परिवर्तनने पहले साझा और अप कम्पनीकी

पद्धतिका आविष्कार कराया है। ज्यों ज्यों व्यापार बढ़ता है, त्यों त्यों उसमें पहलेकी अपेक्षा विशेष पूँजी और विशेष थ्रम आदिकी जरूरत होती है। साम्भा भी इन्हीं सुविधाओंको जुटाने-के लिए निकला होगा, ऐसा हम सहजहीमें कह सकते हैं।

सामेका प्रथम दोप।

सामेकी पद्धतिमें सबसे पहली खामी जो थव मालूम पड़ती है, वह पूँजी सम्बन्धी है। आजका व्यापार अन्तर राष्ट्रीय, अन्तर-जातीय एवम् विश्वव्यापी है। आजके व्यापारमें प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्वताका साम्राज्य चहुँ ओर फैला हुआ है। इस हालतमें सफलता पानेके लिये, व्यापारमें लाखोंकी ही नहीं, बरन् करोड़ोंकी पूँजी लगानी पड़ती है। इसका सम्बन्ध दो तरहसे हो सकता है। प्रथम साम्भा और दूसरा कर्ज। कर्ज अथवा उधार लेनेके लिये, जमी हुई ऐठ और अच्छी साप होना चाहिये। साप अच्छी आयिक स्थितिसे जमती है। परन्तु अच्छी साप और ऐठ होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि, प्रत्येक व्यापारी अपनी स्थितिसे बाहर, कर्ज आदि ले सकता है। अलवत, अच्छी ऐठ वाला शतपति, बुरी ऐठ वाले सहस्र-पतिकी अपेक्षा दश गुना अधिक व्यापार कर सकता है। परन्तु इसकी भी पक सीमा है। इसलिये जमानेके उपयुक्त व्यापार करने योग्य पूँजी कर्ज द्वारा नहीं जुटाई जा सकती। और न ऐसा सार्वे द्वारा ही बन सकता है। थोड़ेसे लक्षाधिपति अपने सर प्रकारके व्यापारका सङ्घोच कर, किसी एक व्यापारमें

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

जिसका उन्हें पुर्वानुभव नहीं है, अपनी सारी पूँजी नहीं लगा सकते। ऐसा करनेमें उन्हें भारी जोखम उठाना पड़ती है। इसके अलावा इस प्रबन्धसे उन्हें अपनी पैठ विगड़नेका भी घोका रहता है। इसीलिये कम्पनियाँ खोली जाती हैं।

सामेकी दूसरी असुविधा।

सामेकी दूसरी असुविधा प्रबन्ध सम्बन्धी है। यह असुविधा साम्भा विशेषके अनुसार मिश्र भिन्न हुआ करती है। उदाहरणके लिए मान लिजिये कि, एक परिवारमें चार भाई हैं। वे अविभक्त-कौटुम्बिक पद्धति पर रहते हैं। उन्होंने अपने कुटुम्बके भरण पोपणके लिए अपनी अविभक्त कौटुम्बिक-सम्पत्तिसे एक व्यापार अथवा फर्म (पेढी) खोल रखी है। उसका प्रबन्ध भी उन्होंने अपने सबसे बड़े भाईको ही जो, घरका मालिक है दे रखा है। ऐसी फर्मको हमारा साम्भा सम्बन्धी आईन, अविभक्त-कौटुम्बिक-फर्म (Joint Hindu Family firm) कहता है। ऐसी फर्ममें घर मालिकका ही अधिक अधिकार होता है। उसकी इच्छाके प्रतिकूल एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि दुर्भाग्य-बश इन चारोंमेंसे कोई भी भाई मरजाव, तो साम्भा-नीतिके प्रतिकूल भी सामेका काम ज्यों का त्यों चलता रहेगा। इसी प्रकार इस फर्मसे अपने आप सम्बन्ध तोड़ने वाले भाईका साम्भीदारीके नियमानुकूल पिछले नफ़े नुकसान (हानि लाभ) का हिसार पूछनेका भी कोई अधिकार न रहेगा। घर-मालिक इस 'फर्म'के कार्य सञ्चालन निमित्त आवश्यकतानुसार कौटु-

ग्रिक जमीन जायदाद, जर वा जवाहरात आदि सब कुछ अपनी इच्छानुग्रह रहन च्याय कर देगा। अन्य भाई इस यातमें कुछ भी न घोल सकेंगे। बस्तुत सामान्य साभीदारीके कोई भी नियम ऐसे साझेको लागू न होंगे।

साभेकी तीसरी असुविधा।

ऐसे साफ्का विशेष को छोड़ कर भी, यह कहा जा सकता है कि, साभेकी पद्धतिमें कई सुधारणीय दोष हैं। इनमें सबसे घटा दोष जोखमका है। जिस प्रकार व्यापार घटता जाता है, उसी प्रकार उसका सञ्चालन भी एकसे अनेक हाथों द्वारा होने लगता है। इस दशामें जोखमका भय हर घटी लगा रहता है। उन सञ्चालकोंमेंसे कोई भी, यदि उस व्यापारको नुक सानमें उतार दे तो, सबको उसके किए हुए पापका ग्रायश्चित्त भुगता पड़ता है। आजकलके जमानेमें विश्वासघात होता भी यहुत कसरतसे है। साभेका निष्कर्ष है, परस्परका विश्वास। बस्तुत ऐसे विश्वासघातके कड़ुये फलोंसे निर्दोष साभियोंको चचाये रखनेके लिये ही कम्पनीकी पद्धतिका आविष्कार हुआ है। सामान्यत कम्पनी और साभेमें इतना ही अन्तर है कि, साभेकी बनावट तथा आयु साभियोंके पारस्परिक विश्वास, और सम्बन्ध पर निर्भर रहती है। परन्तु कम्पनीकी बनावट एम् आयु इन दोनोंमेंसे किसी भी धातपर नहीं रहती। दूसरे, साभेमें ग्रत्येक साभीदारको व्यापार प्रबन्धका अधिकार रहता है। वह अपने अधिकारको पीछे बैठ भी सकता है।

कम्पनी व्यापार प्रवैशिका

६

यह बात यद्यपि सत्य है, परन्तु इस प्रकारका अधिकार कम्पनीके हिस्सेदारोंमें से किसीको भी आदिसे प्राप्त नहीं है। उसका प्रबन्ध सदा चेतनिक-अधिकारियोंके हाथमें ही रहता है। और उनसे बुरे भलेका जवाब भी पूछा जा सकता है।

बस्तुतः कम्पनियाँ कई प्रकारकी होती हैं। उनमें से मुख्य दो भेद हैं। प्राइवेट और पब्लिक। इस भागमें केवल प्राइवेट कम्पनीकी विशेषताओंका ही विवेचन किया जायगा। कम्पनी कैसे बनाई जा सकती है, उसको रजिस्ट्री करानेके पहले उसके उत्पादकोंको क्या क्या करना होता है? इत्यादि वातें अन्यत्र यताई जावेंगी। अस्तु, कम्पनी-आईन धारा २ में प्राइवेट कम्पनीकी परिभाषा (व्याख्या) इस प्रकार की गई है —

प्राइवेट कम्पनी वह है

(१) जिसके नियम उपनियमों (Articles of association) के अनुसार —

(क) कोई हिस्सेदार अपने हिस्से किसी गैरको न दे या देते।

(ख) नौकरोंको छोड़कर जिसके हिस्सेदारोंकी सख्त्या ५० से अधिक न हो।

(ग) जो सर्वेसाधारणको अपने हिस्से अथवा द्विवेच्चर्स खरीदनेके लिये न उकसावे।

(२) और जो ऊर दिये हुए नियमोंका सदा पालन करती रहे।

प्राइवेट कम्पनियोंका अधिकार ।

इन प्राइवेट कम्पनियोंको आईन द्वारा निम्न-लिपित अधिकार प्राप्त हैं —

(१) इसके खोलनेके लिये केवल दो ही आदमी आवश्यक हैं । (धारा ५)

(२) विवरणपत्रके एवजीका पत्र भी इन्हें कम्पनियों के रजिस्ट्ररके पास नहीं भेजना पड़ता । (धारा ६८)

(३) रजिस्ट्ररी होनेके साथ ही वह व्यापार भी शुरू कर सकती है । (धारा १०३)

(४) इसके डाईरेक्टरोंकी सल्या कमसेकम एक हो सकती है । उन्हें पूर्व सीरुति देने अथवा प्रोसेप्टस (विवरणपत्र) सही करने अथवा कुछ शेयर (हिस्से) खरीद करनेकी भी कुछ आवश्यकता नहीं है ।

(५) शेयरों (हिस्सों) की बटनी अथवा व्यापार शुरू करनेके पहिले कुछ (Minimum subscription) जमा होना भी इनके लिए आवश्यक नहीं है (धारा १०१ (c))

(६) स्टेट्यूटरी रिपोर्ट (Statutory report) निकलना व रजिस्ट्ररके उसका दायित करना भी आवश्यक नहीं है । (धारा ७७)

(७) वार्षिक-विवरणके साथ (Annual summary) नफे नुकसानका व देनलेनका अंकड़ा (Profit & loss account and balance sheet) को रजिस्ट्ररको इन्हें नहीं भेजना

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

पड़ता । (धारा १३१)

(८) प्रीफरेन्स हिस्सेके मालिकों एवम् डिवेश्वर/होल्डरोंको भी इसका नफे नुकसानका हिसाब, आँकड़ा एवम् आडीटरकी रिपोर्ट आदि पाने अथवा देखनेका अधिकार नहीं है ।
(धारा १४६)

प्राइवेट कम्पनीके सुभीते ।

ऐसी कम्पनी खोलनेवालोंको सामान्य साझेकी अपेक्षा तीव्र लिये सुभीते रहते हैं —

(१) इसके सामियोंकी जोखम परिमित हो सकती है ।

(२) इसके डायरेक्टर्स (सचालक या कार्यकर्ता) परिमित अधिकार वाले होते हैं । सामियोंकी भाँति उन्हें दृच्छानुसार काम करनेका अधिकार प्राप्त नहीं होता । इनकी नियुक्ति एवम् पृथक्करण मामूली तौरसे हो सकती है ।

(३) ऐसी कम्पनीको पब्लिक कम्पनीकी तरह पूँजी यदाने तथा उधार लेनेकी सब सहलियत प्राप्त रहती है ।

(४) ऐसी कम्पनी अपने भागीदारोंको घरमें ही अपना हिसाब किताब दिखाती है । जनसाधारणके सामने अपना हिसाब किताब दिखानेके लिये, उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता ।

(५) जब चाहे तब उपर्युक्त प्रकारको कम्पनी पब्लिक-कम्पनीके रूपमें परिवर्तित की जा सकती है ।

(६) कर्मचारीगण भी इससे लाभ ले सकते हैं ।

प्राइवेट कम्पनी पब्लिक कैसे बन सकती है ?

प्राइवेट कम्पनों को पब्लिक कम्पनों का रूप देने के लिये निम्न लिखित बातें फरनी पड़ती हैं ।

(अ) ऐसी कम्पनी को पहले इस हेतुका अपने हिस्सों दारों की साधारण सभामें (General meetings of shareholders) विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) स्वीकृत कराना पड़ता है ।

(आ) कम्पनी पब्लिक के रूपमें रजिस्टर कराने के लिये रजिस्ट्रार के पास प्राप्तेक्टस (विवरण पत्र) अथवा उसका एवजीका पत्र पेश करना पड़ता है ।

(इ) इसके अतिरिक्त कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास स्टेटरी-डिक्लेरेशन (Statutory Declaration) और विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) की एक ज़कू मेजना जरूरी है ।

इन तीनों बातों के सम्पादन हो चुकनेपर कोई भी प्राइवेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी बनाई जा सकती है ।



दूसरा खण्ड

— * —

कम्पनियाँ कितनी तरहकी होती हैं ?



छले खण्डमें कम्पनीके दो भेदोंका विवेचन हो चुका है। वे भेद हिस्सेदारों सम्बन्धी हैं। वस्तुत कम्पनीकी विशेषता ही हिस्सेदार और जोखम है। जैसे हिस्सेदारोंके हिसाबसे दो भेद किये गये हैं, वैसे ही कम्पनियोंके जोखमके हिसाबसे तीन भेद किये जा सकते हैं। एक तो वे जिनके हिस्सेदारोंकी जोखम उनके हिस्सोंतक ही होती है। इनको कम्पनीज लिमिटेडबाई-शेयर्स (Companies Limited by shares) कहते हैं। दूसरी वे जिनके हिस्सेदार जब कम्पनीका काम समेटा जावे, तब अपने हिस्सोंसे ज्यादा कम्पनीके नुकसान पेटे कुछ रकम देनेकी प्रतिशा फरते हैं। ऐसी कम्पनियोंको कम्पनीज लिमिटेड बाई ग्यारन्टी (Companies Limited by Guarantee) कहते हैं। तीसरी वे जिनके हिस्सेदारोंकी जोखम साझेकी भाँति अपरिमित होती है। इन्हें अनलिमिटेड-कम्पनीज (Unlimited Companies) कहते हैं। ऐसी कम्पनियाँ आजकल बहुत ही कम हैं।

कम्पनी कौन और कैसे खड़ी कर सकते हैं ?

कम्पनियाँ तीन प्रकारसे खड़ी की जा सकती हैं। पहिली

वे जो रायल चार्टर (Royal charter) से स्वापित हों। दूसरी वे जिनके लिए वाइसरायको कौंसिल (व्यवस्थापक) में एक पृथक धारा पास की जाय। इन सब तरीकोंसे कम्पनी खड़ी करनेको अंग्रेजीमें इनकारपोरेशन (Incorporation) कहते हैं, पहिली दो तरकीयोंसे कम्पनियाँ बहुत ही कम खड़ी होती हैं। और यदि यह कह भी दिया जाय कि, कम्पनी आईन के घन जाने वादसे शायद ही कोई कम्पनी इन तरीकोंसे खड़ी की गई हो, तो भी कुछ हर्ज न होगा। कोई भी सात (प्राईवेट कम्पनी खड़ी करनेके लिए केवल दो ही आदमी काफी हैं। यह पिछले भागमें कहा जा चुका है,) आदमी मिल कर कम्पनी खड़ी कर सकते हैं, और उसे भारतीय कम्पनी-आईनके अनुसार रजिस्ट्री करा सकते हैं। कम्पनी की रजिस्ट्री “रजिस्ट्रार आफ जाईन्ट-स्टाफ कम्पनीज़”के दपतरमें होती है। वर्हे, कलकत्तादि प्रेसोडेन्सी नगरोंमें, यह एक स्वतन्त्र आफीसर होता है। परन्तु और और लानों पर इस कामका भार किसी दूसरे आकिसरके सिपुर्ड कर दिया जाता है। कोई भी कम्पनी रजिस्ट्री करानेके पहले कम्पनी खड़ी करने वालोंको आगे कहे हुए काजगात तैयार करने पड़ते हैं। और जब इनको छपी हुई असली नकल रजिस्ट्रारके दपतर में दापिल कर दी जाती है, तब रजिस्ट्रार कम्पनी रजिस्ट्री कराने का एक प्रमाण-पत्र देता है। इस प्रमाण पत्रको इनकारपोरेशनका प्रमाण-पत्र कहते हैं। कम्पनी खड़ी करने वाले व्यक्तियोंको प्रोमोटर्स कहते हैं।

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

१४

शहरोंका इंग्लैण्ड आदि शहरोंमें भी बड़ा दौरदौरा था। परन्तु पीछेसे जब ये लोग, लोगोंको धोखेमें डालने लगे, और जबसे इस व्यवसायमें आशातोत फायदा होने लगा है, तबसे इन लोगोंकी सत्ता भी कम हो गई है। कम्पनी आइनमें ऐसे लोगोंके फरेवोंसे जनताको घबाये रखनेके प्रिय प्रोस्ट्रेक्ट्रस् अथवा विवरण पत्रिकामें कतिपय वातोंका लिखा जाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा आजकल फाउंडसें शेयर भी उन्हीं लोगोंको दिये जाते हैं, जो कम्पनीके सबसे ज्यादा हिस्सोंके मालिक हैं। येही लोग कम्पनी पड़ी करते हैं, उसमें हिस्से भरते हैं, और उसका सारा काम काज देते हैं। इस सभ सेवाके लिए उन्हें दप्तर खर्चके अलावा कुछ कमीशन मिला करता है। यह कमीशन कहीं कुछ पैदा किये मालपर, कहीं कुछ विके हुए मालपर और कही नको मुताफे पर लगाया जाता है।

मेसोररडम आफ अशोशियेशन

यह पत्र, कम्पनीकी सनद या पर्वाना है। जिस प्रकार पर्वाना अथवा सनद राज दरबारमें दी गई जागीर आदि बर्शी-शका निर्णय करती है, उसी प्रकार यह सनद कम्पनीके व्यापारका और तत्सम्बन्धी सारी वातोंका निर्णय करती है। जब यह सनद रजिस्ट्री हो जाती है, तभी कानूनी रूपे कम्पनी कायम हुई समझी जाती है। जितना इस सनदमें लिखा होता है, उससे बाहर वह कम्पनी कुछ भी व्यापार नहीं कर

सकती। अत इस सनदफो बनवानेमें घड़ी चौकसीसे काम लिया जाता है। यह, सदा इस कामके अनुभवी घकीलों, वैरि-स्टरों अथवा सालिसटरोंसे बनवाई जाती है। ये लोग कम्पनीके व्यापारकी पूरी पूरी दूर देशीका विचार करके यह सनद बनाते हैं। यह सनद हर घड़ी नहीं बदली जा सकती। यही नहीं बरन्, इसकी प्रत्येक धाराको बदलनेमें भी घड़ी घड़ी दिक्कतें हैं। इसलिये सनदके बनवानेमें जितना सर्च पढ़े, उसे व्यर्थ सर्च न समझना चाहिये।

इसकी रजिस्ट्रीसे केवल इसके नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही नहीं वैधते बरन्, वे सब व्यक्ति भी, जो पीछे इसके हिस्सेदार हों, सभी बद्द हो जाते हैं। इम सनदमें निम्न-लिखित धाराएँ होती हैं।

(१) कम्पनीका नाम—इस धारामें कम्पनीका नाम लिखा जाता है। नामके चुनावमें कम्पनी आइन धारा ११ विशेष ध्यान देने योग्य है। यह प्रिशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्त्तित हो सकती है। इस प्रस्तावकी प्रति रजिस्ट्रारके दप्तरमें दाखिल करना आवश्यक है। परिमित जोखम बाली कम्पनीके नामके पीछे “लिमिटेड” (Limited) शब्द लगा रहना चाहिये। इस शब्दका प्रयोग केवल अपरिमित जोखम बाली अथवा परोपकारी व लाभके लिये नहीं चलाई गई कम्पनियोंके लिये माफ है।

(२) कम्पनीके रजिस्टर्ड दप्तरका स्थान—इस धारामें उस

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

प्रान्त शहर अथवा उसके हिस्सेका व्योरेवार नाम लिखा जाता है, जहाँ कि उस कागजी का रजिस्टर्ड दफ्तर रखना निष्ठ्य हुआ है।

(३) कम्पनी का उद्देश और कार्य—इस धारामें कम्पनी के कार्य क्षेत्रका विस्तृत विवेचन रहता है। मामूली काय क्षेत्र-लिप कर अन्तमें इस प्रकार लिख देनेसे कि, यह कम्पनी उपरोक्त कायों को करती हुई, वे सारे काम भी कर सकेगी जो इनके करनेमें सहायक हों अथवा इनके साथ साथ ही सकते हों। (so do all such other things so are incidental or conducive to the attainment of the above objects) काम नहीं चलता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। कम्पनीके सब कागजातों से यह सनद वाला कागज ही ऐसा है, जो बड़ी ही मुश्किलसे घटला जा सकता है। परन्तु इस सनदमें भी यह उद्देशकी धारा ऐसी है, जो सब शेष धाराओंसे बहुत ही मुश्किलसे परिवर्तनकी जा सकती है।

(४) जोखमकी धारा—इस धारामें इसके भागोदारों को जोखम परिमित अथवा अपरिमित होनेका व्योरा लिखा जाता है। इस सम्बन्धमें यदि कम्पनोके हिस्सेदारोंकी जोखम उनके हिस्सोदारों हो तकको है, तो यह लिखा जाता है कि हिस्सेदारों की जोखम परिमित है।

(५) पूँजी—इस धारामें कम्पनीकी पूँजी कितनी होगी और, घड़ कैसे कैसे हिस्सोंमें विभक्ती जायगा? वे सब चाहे लिखो

जाती हैं (धारा ६१७)

(६) कम्पनी एडी करनेवालोंके नाम—अन्तमें जो लोग कम्पनी एडी करना चाहते हैं, उनके नाम, पता मय हिस्सोंकी संख्याके जो वे लेना स्वीकार करते हैं, लिखे जाते हैं। कोई भी सही करनेवाला एक हिस्सेदे कम नहीं ले सकता। अर्थात् प्रत्येक सही करनेवालेको कमसे कम एक हिस्सा तो लेना ही पड़ता है। ज्याद वे चाहे लें और चाहे न ले। इसकी प्रत्येक सहीकी साक्षी करना आवश्यक है (धारा ६)

परिमित जोखम वाली कम्पनीके डाइरेक्टरोंकी अथवा उनमेंसे कुछ को जोखमका यदि सनद पत्रमें उल्लेप कर दिया जाय, तो अपरिमित की जा सकती है।

कई कम्पनियाँ इसी सनद पत्रमें आरभिक रचे व शेयरोंकी विक्री पर कमीशन दिये जानेका भी उल्लेप कर देती हैं।

कम्पनीके उद्देश्य, विशेष (Special) प्रस्ताव द्वारा अदालतकी मजूरीसे बदले जा सकते हैं। यदि उद्देश्य परिवर्तनसे कार्यालयका स्थान परिवर्त्तन आवश्यक हो, तो रजिस्ट्रारके यहाँ अदालतके हुक्मको कम्पनीके उद्देश्य परिवर्तनके विशेष प्रस्तावकी प्रति दायित्व करनेके पश्चात् किया जा सकता है।

मेमोरेएडमकी भाषाके विषयमें, कम्पनी आइनमें कुछ नहीं लिया गया है। परन्तु वृत्तिशा भारतके अक्तिरिक स्थानोंमें रजिस्ट्ररी हुई कम्पनियोंके सम्बन्धमें धारा २७७ (११) में

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

लिपा है कि, ऐसी प्रत्येक कम्पनीको दृष्टिश्च-भारतमें व्यापार करनेकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिए, अथवा व्यापार कर सकतेके लिए, अपने सनद-पत्रका यदि वह पहलेसे अंग्रेजीमें नहीं तो अंग्रेजी अनुवाद भी साथमें दाखिल करना होता है। अस्तु दृष्टिश्च भारतमें रजिस्ट्री होनेवाली कम्पनियोंके लिये अप्रत्यक्ष रूपसे सनद पत्र आदिका अंग्रेजीमें ही तैयार करना आवश्यक है। यह सनद पत्र टाइप किया हुआ, अथवा छपा हुआ रजिस्ट्रारके दफतरमें सनद पत्र नं० १ के साथ दाखिल करना होता है। इस सनद-पत्रके, आईनके परिशिष्ट ३ में अ और ब, स और द, इस प्रकार चार नमूने दिये हैं। परन्तु उनमें उद्देशकी धारा पूर्ण विकसित रूपमें नहीं बनाई गई है। अतएव इस पुस्तकके परिशिष्टमें इनको स्पष्ट करनेके लिये एक सूतके मीलका सनद पत्र एवम् नियम उपनियमोंका हिन्दी उल्था दे दिया गया है (धारा २२ व २४) ।

परिमित जोपम वाली कम्पनीकी पूँजी नियम उपनियमोंकी धाराके अनुसार ही घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। (धारा ५०)

यदि नियम उपनियम इस बातमें चुप हों, तो प्रथम उनको तदनुसार परिवर्त्तित किया जाता है। पूँजी परिवर्तनके लिये अदालतकी मजूरीमें विशेष प्रस्ताव प्रयोजनीय है। घटाई हुई पूँजी वाली कम्पनीके नामके साथ रेडियूस्ड (Reduced) अर्थात् घटाई पूँजीका शब्द जोड़ना अनिवार्य है। धारा० ४ ५-७

१६

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

Number of
Certificate

Form No 1

THE INDIAN COMPANIES ACT, 1913

— Filing Fee Rs 5/-

Declaration of Compliance

with the

Requirements of the Indian Companies Act

Made pursuant to Section 24 (2) on behalf
of a Company proposed to be registered as

— Limited —

I _____ of

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

do solemnly and sincerely declare that I am Here insert
"An advocate
Attorney or
Pleader enti-
tled to appear
before a Hi-
gh Court who
is engaged in
the forma-
tion of the
Company or
Limited,"

Limited, and that all the requirements of A person re-
gistered in the
Articles as a
Director,
Manager or
Secretary of the Com-
pany" the Indian Companies Act, 1913, in respect of the registration of the said Company and incidental thereto have been complied with, save only the payment of Fees and sums paya-
ble on registration And I make this pany " solemn declaration conscientiously belie-
ving the same to be true

Presented for filing by

पूँजी परिवर्त्तनके विशेष प्रस्तावकी सूचना रजिस्ट्रारको धारा ५१ के अनुसार देना परमावश्यक है।

आर्टिकल्स आफ एसोशियेशन।

सनदसे द्वितीय श्रेणीका उपयोगी कागज कम्पनीके लिये आर्टिकल्स आफ एसोशियेन्स है। सनद कम्पनीको घाहरी

क्षेत्रमें घाँघता है। और ये आर्टिकल्स भीतरी कारपारमें। इनको हम कम्पनीके नियम उपनियम कह सकते हैं। कम्पनी आइन में इन नियम उपनियमोंके सम्बन्धमें लिखा है कि,—

१—ये हुए होने चाहिये ।

२—ये अनुच्छेद (पेरेग्राफ) में विभाजित होने चाहिए और

३—इन अनुच्छेदकी सरया अनुक्रमसे लगी रहनी चाहिये ।

४—इन पर सनद् पत्र पर सही करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी साक्षीके साथ सही रहना चाहिये (धारा १२)

कम्पनी आइन धारा १६ में लिखा है कि, इनमें कम्पनीकी पूँजी यदि हिस्सोंमें विभक्त हो तो उसका प्रौर रहना चाहिए। और यदि हिस्सोंमें विभाजित नहीं, तो उन लोगोंकी तादाद देनी चाहिए कि, जिनसे कम्पनी रजिस्ट्री कराई जा रही है।

प्रत्येक कम्पनी अपने लिये हर बातमें नये आर्टिकल्स बनावे, यह कोई जल्दी नहीं है। कम्पनी आइनके परिशिष्टमें ऐसे नियमोंकी एक नियमावली दे दी गई है, जिसको यहाँ चहाँसे कम्पनी अपने सुभीतेके अनुसार घटा घटा अथवा सुधार सकती है। जिन जिन यातोंके लिये कम्पनीके बनाये हुए नियमोंसे नियम न पाये जायें, उनके लिये सब कम्पनियोंको इसी नियमावलीके नियम लागू होते हैं। ये नियम टेबल पर के नामसे प्रसिद्ध हैं। आजकल प्राय हर कम्पनी अपने ही बनाये हुए नियम रखती है (धारा १८)

प्रत्येक-पुलिक कम्पनीके कमसेकम दो डाइरेक्टर होने

चाहिये । और अगर इन नियम उपनियमोंमें कोई भी डाईरेक्टर निर्दिष्ट नहीं किये गये हों, तो सनद पत्र पर सही करनेवाले व्यक्ति ही साधारण सभा में, नये सचालक चुने जाने तक सचालक माने जावेंगे (धारा ८३ ए० घी०)

यदि नियम उपनियमोंमें संचालकोंके नाम दिये हुए हों तो, इनके साथ सचालकोंकी सूची, फार्म न ३ के अनुसार और उनका प्रतिशापत्र फार्म न० २ के अनुसार भरकर रजिस्ट्रारके यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए । (धारा ८४)

पूँजीके बढ़ाने व घटानेका भी इनमें कुछ नियम होना चाहिये । (धारा २०)

प्राइवेट और अपरिमित जोखम वालो एवम् जिनकी जोखम व्यारटीसे परिमित हो ऐसी कम्पनियोंको सनद पत्रके साथ ही नियम उपनियम रजिस्ट्रारके यहाँ दाखिल करने होते हैं । परन्तु हिस्सोंसे परिमित जोखम वाली कम्पनियोंके लिये यह आवश्यक नहीं है । (धारा १७)

सनद-पत्र एवम् नियम उपनियमोंकी प्रति प्रत्येक हिस्से-दारको, माँगने पर एवम् नियम उपनियममें निर्दिष्ट मूल्यपर जो ज्यादासे ज्यादा १० रु० प्रति प्रतिका हो सकता है, दी जाना चाहिये । (धारा २५)

ये नियम उपनियम विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्त्तन व परिवर्द्धित किये जा सकते हैं । परन्तु ऐसे विशेष । प्रस्ताव छपे हुए होने चाहिये, और इन छपी हुई प्रतियोंमेंसे एक

**Number of
Certificate**

Form No. II

“THE INDIAN COMPANIES ACT”

1913

Filing Fee Rs 5/-

Consent to Act as Director

of

Limited

(To be signed and filed with the Registrar of
Joint Stock Companies pursuant to Section
84, Subsection 1 (1), of the Indian Companies
Act, 1913)

To the Registrar of Joint Stock Companies

We the undersigned, hereby testify ~~our~~^{my} consent
to act as Directors of the _____.

pursuant to Section 84, Sub section 1 (i), of the
Indian Companies Act, 1913

Presented for filing by

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

२१

Signature	Address	Description
-----------	---------	-------------

Dated this _____ day of _____ 19 _____

Section 84 (3) of the Indian Companies Act provides that—

“This Section shall not apply to a Private Company nor to a prospectus issued by or on behalf of a Company after the expiration of one year from the date at which the Company is entitled to commence business ”

If a Director signs by “his Agent authorised in writing” the authority must be produced and a copy filed

२५

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

Number of
Certificate...

Form No. III

"THE INDIAN COMPANIES ACT"

1913

Filing Fee Rs 5/-

List of the persons
who have
Consented to be Directors
of

Limited

(To be delivered to the Registrar of Joint Stock
Companies, pursuant to Section 84, Sub
section (2) of the Indian Companies
Act, 1913)

To the Registrar of Joint Stock Companies
I,

the undersigned, hereby give you notice, pursuant to Section 84, Sub section 2 of the Indian Companies Act, 1913, that -the following persons have consented to be Directors of

पश्चात् अथवा पहले कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है।

कम्पनी आइनने प्रास्पेक्ट्समें नीचे लिखी वातोंका उल्लेख आवश्यक बताया है —

१—प्रत्येक प्रास्पेक्ट्स तारीख वाला होना चाहिये।

२—उसमें लिखी हुई डाइरेक्टरोंकी अथवा उनके मुपरियारकी नीचे सही होना चाहिये

३—कम्पनीकी सनद मेमोरांडम आफ असोसियेशनकी नकल, और उसपर सही करनेवालोंके नाम पता व प्रत्येकने लेने किये हिस्सोंकी तादाद लिखी रहनी चाहिये। और यदि कम्पनीने फाउण्डर्स डिफर्ड हिस्से निकाले हो तो, उनकी सख्त व कम्पनीकी मिलियत व मुनाफेमें, उनके मालिक हिस्सेदारोंके मतालेकी इद व प्रकृतिका व्यौरा लिखा रहना चाहिये।

४—प्रत्येक डाइरेक्टरको कम्पनीके नियम उपनियमोंके अनुसार अपने पदकी योग्यताके लिये कितने हिस्से कम्पनीमें लेना होगा। उसकी तादाद व उनके मावजे अर्थात् पुरस्कारका व्यौरा।

५—नियुक्त अथवा नियुक्त किये जानेवाले सचालको, डाइरेक्टरों व मनेजरोंके नाम पता व विवरण।

६—डाइरेक्टर लोग हिस्सोंकी बँटनी करना शुरू करें उसके पहले कितने हिस्सोंकी माँग आना जरूरी है, और प्रत्येक हिस्सेपर प्रार्थनाके साथ व घँटनीके पश्चात् कितने रुपये,

लिये जावेंगे उनकी सत्या भी लिपनी चाहिए। इस नियमसे जनता डाइरेक्टर लोगोंके धोखेसे बच सकती है। इसको अंगरेजीमें मिनिमम सबस्क्रिप्शनक्वाज (Minimum subscription clause) कहते हैं।

७—नकदके सिवा पूर्ण अथवा अपूर्ण भरे हुए हिस्से अथवा डिवेञ्चर दिये गये हों, तो उनकी तादाद।

८—कम्पनीको अपना व्यापार वेचनेवाले विक्रेताओंका नाम पता विवरण और प्रत्येकको हिस्सोंमें, अथवा डेवेञ्चर अथवा नकद दी जानेवाली रकमकी तादाद।

९—ज्यापारकी दी गई अथवा दी जानेवाली खरीदीकी कीमत या उसका दिये जानेका व्यौरा। इसी धारामें यदि मिल्कियतसे ज्यादा कुछ रुपया दिया गया हो, तो उसकी तादाद पृथक तौरसे लिपनी चाहिए।

१०—यदि कम्पनीके जनम दाताओंके, कम्पनीके थे हिस्से जो उन्होंने जनताको देना जाहिर किया है, किसी कम्पनी अथवा कम्पनियोंको कमीशनसे विका देनाका अभिवचन दे दिया हो, तो उनका नाम और कमीशनका उल्लेख। इस प्रबन्धको अंगरेजीमें अड्डर राइटिंग कहते हैं।

११—प्रारम्भिक रार्च का तपामीना।

१२—किसी प्रोमोटरको पिछले दो वर्षोंमें माझेके बतौर दी गई अथवा अभी की जानेवाली रकमका व्यौरा य उस माव जेके एवजका विवरण।

१३—कम्पनीके लिये किये गये पणोंकी तारीख, व दोनों पक्षोंके व्यक्तियोंके नामका व्यौरा व ये पण कब और कहाँ जन साधारण, जो चाहें देख सकते हैं उसका उल्लेख होना चाहिए।

१४—कम्पनीके आडीटरोंका नाम व पता।

१५—यदि डाइरेक्टरोंसे किसीका भी कम्पनीके लिये व की गई मिलियतसे अधिका उसके लिए किये गये पणोंसे प्रत्य व परोक्षसे सवध हो तो उसका उल्लेख।

१६—यदि कम्पनी भिन्न २ जातिके हिस्से निकाले, तो इ मताधिकारका व्यौरा। (धारा ६३)

इसी विवरण-पत्रमें कम्पनीका नाम, उसके वैकर्स अथ सराफ सालिसिटर अर्थात् वकोल, मैनेजर संकेटरी, आदि विवरण एवम् रजिस्टर्ड दफ्तरका पता भी लिखा रहना चाहिए।

यह विवरण पत्र इस प्रकार लिखा रहना चाहिये कि, जन साधारणका इस ओर ध्यान आकृष्ट हो। इसमें किसी भी विषयकी गलतफहमी न होनी चाहिये। सक्षित होनेके साथ साथ अवश्यक विषयोंसे परिपूर्ण होना चाहिये। इसके साथ एक छपा हुआ, हिस्सोंका प्रार्थना पत्र भी रहना चाहिये।

प्रत्येक विवरण-पत्र पर यह छपा रहना चाहिए कि, इसकी एक प्रति रजिस्ट्रर जाइन्टइस्ट्राक कम्पनीजके दफ्तरमें दाखिल की जा चुकी है। (धारा १२)

किसी मिथ्यां अथवा गलत वातके लिखनेसे वे सब डाइ-रेक्टर एवम् प्रोमोटर्स जिनकी आत्मासे उक विवरण पत्र-प्रका-

शित किया गया है उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंके प्रति उत्तरदायी है कि, जो इसके विश्वासपर कम्पनीके हिस्से अथवा डिवेल्पर खरीदकर किसी प्रकारकी हानि अथवा क्षति मिथ्या अथवा गलत बातसे उठावें। यदि यह बात किसी साक्षर चिन्हानके अथवा सरकारी पत्रोंके आधारसे लिखी जाना सिद्ध हो जाय, तो इस भारते वे मुक्त हो जाते हैं। (धारा १००)

प्रत्येक कम्पनी अपने लिये विवरण पत्र तैयार करें, यह कोई जल्दी नहीं है। हमारे देशमें कई कम्पनियोंने विवरण-पत्र निकाला ही नहीं है। ऐसी कम्पनियोंको हिस्सोंकी प्रथम बैटनी करनेके पश्चात् विवरणपत्रका एवजी-पत्र तैयार करके रजिस्ट्रार ज्वाइएट कम्पनीके दफतरमें दाखिल करना होता है। इसी एवजी पत्रका नमूना आइनके दूसरे परिणाममें दिया गया है। (६८)

विवरण पत्र अथवा उसके एवजीके पत्रमें छिपी गई शर्तें हिस्सेदारोंकी साधारण सभामें ही, सिर्फ परिवर्तन की जा सकती हैं। (६६)

इसी पत्रके साथ रजिस्ट्रारके यहाँ कम्पनीका रजिस्टर्ड दफतर कहाँ स्थित रहेगा, उसकी इतला देना भी जल्दी है। (धारा ७२)

व्यापार शुरू करना ।

प्रत्येक कम्पनीको अपने कर्यालय एवम् अन्यान्य व्यापार स्थानके बाहर अपने नामका साइन थोर्ड, अंग्रेजीमें

हुमा रखना पड़ता है। इसी प्रकार अपने नामकी मुहर (Seal) पत्र व्यवहारके कागज पत्र, नोटिस, विल, वाडचरे आ स्ट्रेशनरीकी चीजें भी अग्रेजीमें छपी हुई, रखना एक अधार्य आशा है। (धारा ७३)

सिवा प्राइवेट कम्पनीके कोई भी हिस्सोंकी पूँजी वाल पब्लिक-कम्पनी अपने रजिस्ट्री होने पर व्यापार शुरू नहीं क सकती। इसके लिये उसे रजिस्ट्रारसे सार्टीफिकट प्राप्त करन पड़ता है। व्यापार शुरू करनेके सम्बन्धमें कम्पनी आई धारा १०३ में लिखा है कि, कोई भी कम्पनी उस समय तब किसी प्रकारका व्यापार नहीं कर सकेगी अथवा कर्ज उधार न ले सकेगी जब तक कि —

- (१) नियम सबस्क्रिपशनके कुल हिस्से नभरा जायँ ।
- (२) सचालक लोग पदकी योग्यताके हिस्से प्राप्त न करले, और उनपर प्रार्थना व घटनी पर ली गई रकम न अदा कर दे ।

सेकेट्री अथवा डायरेक्टर रजिस्ट्रारके यहाँ इन शर्तोंके धराधर पालन होनेकी इच्छिला पत्रक न० ४ अथवा ५ के अनुसार न दाखिल कर दे ।

(४) जो कम्पनी विवरण पत्र नहीं निकाले घद उसका एवजी-पत्र रजिस्ट्रारके दफतरमें दाखिल न करे ।

उपरोक्त धारामें उल्लिखित पत्रक न० ४ अथवा ५ के अनुसार डायरेक्टर अथवा सेकेस्टरीके प्रतिज्ञा अथवा शपथ पत्र दाखिल कर देते पर रजिस्ट्रार कम्पनीको व्यापार शुरू करनेका उपरोक्त

३३

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

Number of
Certificate . . .

Form No IV

THE INDIAN COMPANIES ACT

1913.

Filing Fee Rs 5/-

D e c l a r a t i o n

Made on behalf of

L i m i t e d

that the conditions of Section 103, Sub-section 1, of the Indian Companies Act, 1913, have been complied with

I, _____ of

Here insert being _____

'the Secretary' or a _____ Limited
'Director'

do solemnly and sincerely declare —

That the amount of the Share Capital of the Company offered to the public for subscription is Rs _____.

That the amount fixed by the Memorandum or Articles of Association and named in the Prospectus as the minimum subscription upon which the Company may proceed to allotment is Rs _____

That Shares held subject to the payment of the whole amount there in cash have been allotted to the amount of Rs _____.

That every Director of the Company has paid to the Company on each of the Shares taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash a proportion payable on application and allotment on the shares offered for public subscription

And I declare that the foregoing statements are true to my knowledge and belief

Presented for filing by

(Signature) _____

Dated this _____ day of _____ 19 _____

३५

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

Number of

Form No. V.

Certificate

"THE INDIAN COMPANIES ACT"

1913

Filing Fee Rs 5/-

Declaration

made on behalf of

L i m i t e d

That the conditions of Section 103, sub section 1, of the Indian Companies Act, 1913, have been complied with,

I, the undersigned _____ of

being

of

do solemnly and sincerely declare—

That the amount of the share Capital of the Company other than that issued or agreed to be issued as fully or paidup otherwise than in cash is Rs _____

That the amount fixed by the Memorandum and Articles of Association and named in the

Statement in lieu of prospectus as the minimum subscription upon which the Company may proceed to allotment is Rs _____

That Shares held subject to the payment of the whole amount there of in cash have been allotted to the amount of Rs _____.

That Every Directors of the Company has paid to the Company on each share taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash, a proportion, equal to the proportion payable on application and allotment on the shares payable in cash

I declare that the foregoing statements are true to my knowledge and belief

Presented for filing by

(Signature) _____

Dated this _____ day of _____ 19

Note.—This declaration is to be filed before commencing business only in case of Company filing Statement in lieu of Prospectus.

पत्र प्रदान कर देता है।

जब तक विवरण पत्रमें उल्लिपित न्यूनतम संख्या (Minimum) के हिस्से न भरा जायें, संचालक लोग हिस्सोंकी बैटनी प्रारम्भ न कर सकेंगे। और यदि विवरण पत्रमें न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई हो, तो दिये गये कुछ हिस्सोंके भरा जानेके पश्चात् बैटनी प्रारम्भ की जा सकेगी। प्रत्येक हिस्सेकी कीमत का कमसे कम पाँच शतांश रूपया प्रार्थना के साथ एकत्रित किया जाना चाहिए। (धारा १०१)

यदि विवरण पत्रके प्रकाशित करनेकी तारीखसे १२० दिवस में न्यूनतम संख्याके बराबर हिस्सोंको प्रार्थना न एकत्रित होंगी तो तत्पश्चात् १० दिवसमें जमा हुआ कुछ रूपया पीछे लौटा दिया जाना चाहिये। इस अवधिके बीतने पर डायरेक्टर लोग मिलकर एवम् पृथक पृथक दर ७५ प्रनिशत प्रति वर्ष के व्याजसे उक्त रकम अदा करनेके जोखमदार होंगे।

प्रत्येक बैटनीका व्यौरा पत्रक नं ६ के अनुसार बैटनीसे एक महीनेमें रजिस्ट्रारके यहाँ दाखिल करना आवश्यक है। जो हिस्से पूर्ण अथवा अपूर्ण नकदके अतिरिक्त दिये गये हों, उनका ऐसे दिये जानेके पाणकी प्रतिलिपि दाखिल करनी चाहिए। (धारा १०४)

यदि कम्पनीने हिस्सोंकी बटनी पर किसी प्रकारका अडर राईटिंग कमीशन दिया हो तो उसका व्यौरा पत्रक नं०८ के अनुसार रजिस्ट्रारके दपतर में दाखिल किया जाना

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

३८

Number of
Certificate

Form No VI.

THE INDIAN COMPANIES ACT, 1913

—

Filing Fee Rs 5/-

Return of Allotments
of

L i m i t e d

from the _____ day of _____ 19

to the _____ day of _____ 19

Made pursuant to Section 104, Sub section 1,
of the Indian Companies Act, 1913

(To be filed with the Registrar Joint Stock
Companies within one month after the allot-
ment is made)

Number of the _____ Shares allotted paya-
ble in cash Rs.
number of the _____ Shares allotted paya-
ble in Rs ...
number Amount of the _____ Shares
so allotted Rs ...

number Amount of the _____ Shares
 so allotted Rs . .
 Amount paid or due and payable on
 each such _____ Shares Rs .
 Amount paid or due and payable on
 each such _____ Shares Rs .
 number of Shares allotted for a consi-
 deration other than cash Rs
 nominal Amount of shares so allotted Rs .
 Amount to be treated as paid on each
 such Share Rs .
 The consideration for which such Shares have
 been allotted is as follows —

Names, Addresses and Description of the Allottees

Name in full	Address	Description	Number of Shares allotted
			Preference Ordinary

Presented for filing by
 (Signature) _____
 Dated this _____ day of _____ 19 .

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

और यह कमीशन जब तक थोड़ा थोड़ा करके मुताफे में से नहीं भरा जाय, तब तक आकड़े में दिखाया जाना चाहिए।

जो कम्पनी उपयुक्त प्रमाण पत्रके प्राप्त करलेने पूर्व व्यापार शुरू कर दे अथवा कर्ज आदि ले ले तो, प्रति दिवसका ₹० ५०० जुर्मानेके ढक्का विधान है।

ग्रत्येक कम्पनीको जिसे इनकारपरेशनका प्रमाण-पत्र मिल चुका है, उस तारीखसे एक वर्षके भीतर व्यापार प्रारम्भ कर देना चाहिये। यदि यह अवधि यों ही बीत जाय तो उसे फिर नई तौरसे रजिस्ट्रौ कराना होती है। पहले का प्रमाण पत्र निकल्मा है।

अण्डरराइटर्स कौन हैं ?

इस जगतमें उद्योगियोंके लिए कमाई के कई तरीके हैं, और जो लोग मेहनतसे डरते हैं उनके ही मुँह पर सदा मक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। अण्डरराइटर्स भी इसी प्रकार के उद्योगी पुरुष होते हैं। जब कोई, नई कम्पनी निकलती है, और उन्हें ऐसा अनुमान होता है कि, इसके हिस्से हाथों हाथ बिक जायेंगे तो वे उस कम्पनीके जन्मदाताओं से यह तय कर लेते हैं कि, यदि वे उन्हें प्रति शेअर पर कुछ कमीशन देना स्वीकार करें तो वे उनके कुल हिस्से जो इस समय जनताको वे बेचना चाहते हैं, बिका देंगे। कदाचित जनता ऐसे सारे हिस्से न खरीदेगी, तो वाकी वचे हुए हिस्से वे स्वयम् खरीद लेंगे। इस प्रवधसे कम्पनी घालोंका और अण्डरराइटरोंका

दोनों ही का लाभ है। कम्पनीको इस बातकी चिंता मिटजाती है कि, उसके हिस्से कौन खरीदेगा? माना कि उन्हें इस प्रयोगके लिये प्रति हिस्से पीछे कमीशन देना पड़ता है, परन्तु वह बहुत ही थोड़ा होता है। इसके अलापा यह कमीशन ऐसे जानेवाले कुल हिस्सोंके पिछे जाने पर ही दिया जाता है। यदि कुल हिस्से न विके हों, तो वाकी उन्हें हुए हिस्सोंकी रकम में यह कमीशन को रकम बाद दे दी जाती है। इन थण्डरस-इटरोंको इनके ऊपर पढ़े हुए हिस्सोंका स्पष्टा भी उसी प्रकार भरना पड़ता है, जैसे और हिस्से परीदने वाली जनता भरती है। इस प्रकारका कमीशन देनेका धारा १०८ कम्पनी को पूँजी में स्पष्ट विधान है।

कम्पनीकी सनदमें पूँजीका सुलासा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि, कम्पनीको पूँजी किनने लाख रुपयों की किस लागतके किस प्रकार के हिस्सोंमें विभाजित होगी? इस सनदमें लिखो हुई पूँजीको “आथोराइज्ड केपिटल” अर्थात् अधिकारित-पूँजी कहते हैं। इसके दूसरे नाम भी है जैसे शेअर केपिटल और नामिनल केपिटल। अधिकारित पूँजी के कुल हिस्से, अक्सर आरभ से ही नहीं बेच दिये जाते। कम्पनीके डायरिक्टर लोग इस अधिकारित पूँजी में से कुछ ही हिस्से शुल्क में लोगों में बेचनेकी सूचना देते हैं। पूँजीका यह अश तब ईस्यूड अर्थात् जारी की हुई पूँजी कहलाती है। शेष यच्ची हुई पूँजी ‘अनईस्यूड पूँजी’ कहलाती है। इस जारी

की हुई पूँजी में से जितने हिस्से जनता खरीद लेती है उसे सबस्क्राइब कैपिटल अर्थात् भराई हुई पूँजी कहते हैं। इस जारी किये हुए हिस्सों की रकम एरीदते ही कम्पनीके दफ्तरमें भर दी जाय, ऐसा डायरेक्टर लोग नहीं करते। वे चाहते हैं कि, इन हिस्सोंकी रकम कुछ तो हिस्सोंके लिए दरपास्त करते समय, कुछ उनकी बँटनी हो जाने पर, और धाकी पीछे, जब और जिस तरह से वे चाहे' कम्पनीके दफ्तर में अथवा जहां सूचना दें, भरदी जाय। अस्तु इस माहित्यमें उस पूँजीको जो हिस्सोंकी बँटनी होनेसे मिलती है, कालड-धप जमाशुदा कैपिटल अर्थात् पूँजी कहते हैं। शेष अनकालड पूँजी फहलाती है। और जितनी पूँजीसे डायरेक्टर लोग कम्पनीका काम चालू करते हैं, वह उस कम्पनीका वर्किंग-कैपिटल अर्थात् पूँजी कहलाती है। यह कम्पनोंकी स्थायी-मिलियत, व प्रारंभिक खर्चकी तादादको घाद करके निकाली जाती है।

आईन धारा ७५ में लिखा है कि, जहा कम्पनीकी अधिकारित पूँजीका उल्लेख किया जाय, वहाँ वैसी ही स्पष्टतासे जारी की हुई एवम् भराई गई पूँजीका भी उल्लेख रहना चाहिए। इसके भगका रु० १०००] तक के जुर्मानेका भी इसी धारा में विधान है।

कंपनीकी स्थावर और जंगम मिलियत।

कम्पनीकी मिलियत दो प्रकारकी होती है। पक्को फ्लो

टिंग अथवा सरक्यूलेटिंग और दूसरी को फिस्सड मिलिक्यत कहते हैं। उदाहरण के लिए रेल्वे कम्पनीकी मिलिक्यतका ही विचार कीजिए। रेलफे चैले, सिलिपर, गाड़ी, इन तथा रास्ता आदि जिसके द्वारा रेल कम्पनी माल इधरसे उधर लेजानेका काम करती है, वे सब उसको फिस्सड अथवा स्थायी मिलिक्यत है। कई लोग इस प्रकार की मिलिक्यत को वेस्टिंग मिलिक्यत भी कहते हैं। और ऊपर की शुरू व्यापार्याके अनुसार इसका यही नाम ठीक जँचता भी है। इस मिलिक्यतके अलावा जो एकम उनकी सिलकमें है, और जो लोगोंमें लेनी है, अथवा किसी प्रकारका ब्याज उपजा रही है, अथवा जो स्टोर आदि काममें आनेका सामान परीदा पड़ा है वह सब पलोटिंग अथवा सरक्यूलेटिंग पूँजी (मिलिक्यत) है। किसीने इन दोनों प्रकारकी मिलिक्यतकी व्यापार्या इतने ही में कर दी है कि, जिसके टके घाँट लिये जाँय वह पलोटिंग, और जो उसी तरहसे काममें ली जाय वह फिस्सड मिलिक्यत कहलाती है।

डाढ़रेक्टर्स

सामान्य साक्षा, साम्भियोंके पारस्परिक विश्वासपर टिका होता है। ऐसे साक्षेरे प्रमन्य आदिके काममें सब साम्भियोंका समान हक होता है। परन्तु कम्पनीके हिस्सेदारोंके लिये वह बात नहीं है। उनमें पारस्परिक विश्वासका कोई नाता सम्बन्ध जोड़नेके लिये नहीं होता। अस्तु, कम्पनीके प्रबन्धका

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

की हुई पूँजी में से जितने हिस्से जनता परीद लेती है उसे सबस्क्राइब कैपिटल अर्थात् भराई हुई पूँजी कहते हैं। इस जारी किये हुए हिस्सों की रकम परीदते ही कम्पनीके दफ्तरमें भर दी जाय, ऐसा डायरेक्टर लोग नहीं करते। वे चाहते हैं कि, इन हिस्सोंकी रकम कुछ तो हिस्सोंके लिए दरखास्त करते समय, कुछ उनकी बैंटनी हो जाने पर, और याकी पीछे, जब और जिस तरह से वे चाहे कम्पनीके दफ्तर में अथवा जहा सूचना दें, भरदी जाय। अस्तु इस माहित्यमें उस पूँजीको जो हिस्सोंकी बैंटनी होनेसे मिलती है, काल्ड अप जमाशुदा कैपिटल अर्थात् पूँजी कहते हैं। शेष अनकाल्ड-पूँजी कहलाती है। और जितनी पूँजीसे डायरेक्टर लोग कम्पनीका काम चालू करते हैं, वह उस कम्पनीका वर्किंग-कैपिटल अर्थात् पूँजी कहलाती है। यह कम्पनोंकी स्थायी-मिलिक्यत, व प्रारंभिक खर्चकी तादादको बाद करके निकाली जाती है।

आईन धारा ७५ में लिखा है कि, जहा कम्पनीकी अधि कालित पूँजीका उल्लेख किया जाय, वहाँ वैसी ही स्पष्टतासे जारी की हुई एवम् भराई गई पूँजीका भी उल्लेख रहना चाहिए। इसके भगका ₹० १०००० तक के जुर्मानिका भी इसी धारा में विधान है।

कंपनीकी स्थावर और जंगम मिलिक्यत।
कम्पनीकी मिलिक्यत दो प्रकारकी होती है। पक्को पक्लो

हिस्से लेनेका पण रजिस्ट्रारके दफतरमें दाखिल नहीं किया जाय (धारा ८४)

प्रत्येक डाइरेक्टरको अपने पद-योग्यताके हिस्से दो महीने, अथवा उस अवधिमें जो कम्पनीके नियम उपनियमोंमें निर्धारित कर दी गई है, प्राप्त कर लेने होंगे । यदि वह ऐसा न करेगा तो, उसका स्थान रिक्त समझा जायगा । और जब तक कि वह उक्त हिस्से न प्राप्त कर लेगा, पुन नियुक्त नहीं किया जा सकेगा यदि इस अवधिके पश्चात् भी ऐसा व्यक्ति सचालकका कार्य न होना पद योग्यताके हिस्से प्राप्त किये, सम्पादन करता रहेगा जोगे । वह प्रतिदिवसके ₹० ५०] तकके जुर्मानेके दण्डका दोपी प्रणाल (धारा ८५)

यह सभा द्वारकरोंके पुरस्कार आदिका कम्पनीके नियम, उपनियमिसीने छुलेख रहता है । कहीं प्रति घोर्ड मीटिंग, कहीं खरेमें कर्पूर पर, कुछ प्रतिशत और कहीं कुछ वर्षके लिये एक नियत जो जारी नियत कर दी जाती है । इन्हीं नियमों उपनियमोंमें पुरस्कार पानेके अधिकारोंमें भी भेद किया जा सकता है । इस विषयमें प्रत्येक कम्पनी स्वतन्त्र है ।

प्रत्येक कम्पनीको डाइरेक्टरोंकी एक सूची रखना पड़ती है, और इसकी एक नकल प्रति वर्ष घार्डिक विवरणके साथ (Annual summary) रजिस्ट्रारके यहाँ दाखिल करनी होती है । (धारा ८७)

अर्थात् कम्पनीके पहले सचालक,

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

की सबसे पहली साधारण स्टेट्यूटरो मिटिंगमें समर्थन की जाती है।

कम्पनीको वहियाँ ।

कम्पनीका आँकड़ा—कम्पनी-आइनमें लिखा है कि, प्रत्येक कम्पनी उचित तौरकी हिसाबकी वहियाँ रखेगी, जिनमें कम्पनीके व्यापार एवम् लेन देनका पूर्ण व्यौरेवार व सज्जा हिसाब लिखा रहेगा । (धारा २३०)

प्रत्येक कम्पनी प्रति वर्ष एक बार, और अधिकसे अधिक पंद्रह महीनेमें सब हिसाब पका किया करेगी, और उसका आँकड़ा भी तैयार करेगी । यह आँकड़ा कम्पनीके आडोटर द्वारा परीक्षित होगा, और इसके साथ आडिटरकी रिपोर्ट लगी रहेगी, अथवा उसका हवाला इस आँकड़ेके अन्तमें दिया रहेगा । यह रिपोर्ट साधारण सभामें पढ़कर सुनाई जायगी, और कम्पनीके सदस्योंकी जांचके लिये खुली रहेगी (धारा १३१)

प्राइवेट कम्पनीके अतिरिक्त सब कम्पनी इस परीक्षित आँकड़ेकी एक प्रति प्रत्येक हिस्सेदारके उस दर्जको कराये हुए पतेपर, उस साधारण सभाके सात दिवस पहले जिसमें यह पेश की जानेवाली होगी, भेजी जायगी । इसके भगमें कम्पनी एवम् उसका वह प्रत्येक कारिदा जो जाम बूझकर ऐसा करेगा (रु० १०००) तकके जुर्मानेके दण्डका दोपी होगा । धारा (१३१)

यह आँकड़ा जहाँतक हो परिशिष्ट ३ के फार्म एफके अनुसार तैयार किया जायगा और इसमें कम्पनीकी पूँजी व लेने

र देनेका स्पष्ट तौरपर व्यान रहेगा। (धारा १३२)

इस आँकडे पर साधारण कम्पनियोंमें कमसेकम दो डाइरेक्टरोंके, और यदि उस कम्पनीका केवल एक ही डाय-कटर होगा, तो केवल उसके और कम्पनीके मेनेजरके हस्ताक्षर होंगे। सराफी कम्पनियोंमें कमसेकम तीन डाइरेक्टरोंके हस्ताक्षर रहेंगे। इसके भगमें कम्पनी एवम् उसके बे सब अफसर जो जान बुझ कर ऐसा करेंगे रु० ५००) तकके मानिके दण्डके दोषी होंगे। (धारा १२३)

इस आँकडेकी एक प्रति रजिस्ट्ररके यहाँ वार्षिक विवरणके आध साधारण नभामें पेश हो जानेके बाद दापिलकी जायगी।
धारा १३४)

हिस्सेदारोंका रजिस्टर।

प्रत्येक कम्पनी अपने हिस्सेदारोंका एक रजिस्टर रखेगी जैसमें —

(१) प्रत्येक हिस्सेदारका नाम पता घ व्यवसायका व्योरा लिखा जाया करेगा। यदि कम्पनीकी पूँजी हिस्सोंकी रुपयोंकी, तो प्रत्येक हिस्सेदारके हिस्सोंकी अनुकम सख्ता, एवम् इस पर भरे हुए रुपयोंका भी व्योरा लिखा रहेगा।

(२) प्रत्येक व्यक्तिके कम्पनीके हिस्सेदार होनेकी एगम्

(३) प्रत्येक हिस्सेदारके हिस्सेदारी त्यागनेकी तारीख भी लिखी रहेगी। इस आश्वाके भगमें कम्पनी एवम् उसके प्रत्येक कारिन्दे जो ऐसा जान बुझकर नहीं करेगा प्रति

दिवसके रु० ५०) तकके जुर्मानेके दण्डका दोषी होगा।
(धारा ३१)

डाइरेक्टरोंका रजिस्टर—प्रत्येक कम्पनी जिसकी पूँजी शेअरोंमें विभक्त हो, प्रतिवर्ष कमसे कम एक बार उन व्यक्ति योंकी एक सूची तैयार करेगी जो उस वर्द्धकी साधारण सभाके बाद सदरय-पद त्याग कर चुके होंगे।

इस सूचीमें सब सदस्योंका (वर्तमान भूत पूर्व) नाम, पता व ध्यवसायादिक विवरण उनके हिस्सोंकी तादादके साथ लिखा रहेगा। यदि गत अधिवेशनके पश्चात् हिस्सोंका तादादला भी हुआ हो, तो उसका भी व्यौरा लिखा जायगा।
(धारा ३२)।

आइनके तृतीय परिशिष्टके के ४ ई फार्मेंके अनुसार यह विवरण दिया जायगा। इसके भग्नमें कम्पनी ऐवम् कम्पनीका प्रत्येक अपसर प्रति दिवसके रु० ५०)के जुर्मानेका दोषी होगा।

किसी भी प्रकारका ट्रस्ट (Trust) कम्पनीकी वहियोंमें दर्ज नहीं किया जायगा (धारा ३३)

प्रत्येक कम्पनी यह रजिस्टर साल भरमें ३० दिवस तक विज्ञापन देनेके पश्चात्, बन्द कर सकेगी, (धारा ३७)

मारगेज रजिस्टर-प्रत्येक कम्पनी अपने सभा मारगेज बचारजेज आदिका व्यौरा सम्बत १६१४के भारतीय-कम्पनियोंके निवयोंमें दिये हुए फार्म न० ६ के अनुसार रजिस्ट्ररको देगी।
(धारा १०६)

एवम् इनका एक रजिस्टर अपने यहाँ भी रखेगी (धारा १२३)

इसके भग्ने कम्पनीका यह सचालक जो जान छुक्कर ऐसा करायगा । अथवा करनेकी इजाजत देगा, ज्यादासे ज्यादा ₹० ५००) तकके जुर्मानेके दण्डका दोगी होगा ।

कार्यवाहीका रजिस्टर । प्रत्येक कम्पनी अपनी सामारण और डाइरेक्टरोंकी समाजोंकी कार्यवाही एक रजिस्टरमें दर्ज करेगी । और ऐसो प्रत्येक कार्यवाही जिसपर उस ही समाजे अथवा उससे बागामी सभाके सभापतिके दस्तपत होंगे । यतौर उसके निश्चित किये जानेकी शहदतके होंगे । (धारा ६३)

इन सभ किताबोंको आइन 'स्टेट्रूटरी कितारे' कहता है । इनके अलावा भी कम्पनीको कई और कितारे रखना पड़तो है—जैसे (१) डाइरेक्टरोंका उपस्थिति पत्रक, (२) शेअर ट्रान्सफर रजिस्टर (३) जजगडा रजिस्टर (४) इकरारनामों की किताब (५) हिस्लोंका प्रार्थना एवम् पैट्रनीका रजिस्टर (६) किस्तका रजिस्टर (७) विवेच्चरके सामियोंकी सूची (८) हिस्मोंका खाता (९) शेअर सार्टीफिकेटकी किताबें (१०) शेयरोंके तयादलेका रजिस्टर । जो भागीदार शेअर रजिस्टर देखना चाहें, वे कम्पनीके दफतरमें जाकर देख सकते हैं । परन्तु यदि यह उसकी प्रतिलिपि चाहता हो तो उसे प्रत्येक ₹०० शन्दोंके लिए छ आना भरना ५

अथवा बहियोंको भाषाके लिए आइनका कोई प्रतिवन्ध नहीं है। कम्पनी चाहे जिस भाषामें वे बहियाँ रख सकती हैं। इसी तरहसे वह अपनी सनद आदि अन्य कागजात भी चाहे जिस भाषामें बना सकती हैं। परन्तु जो कागजात रजिस्ट्रारके दफ्तरमें पेश करना होता है, यदि वे भी अगरेजीसे अतिरिक्त भाषामें तैयार किये जायें, तो इनके साथ उनका अगरेजी अनुवाद भी पेश करना पड़ता है।

कम्पनीकी सभाएँ

(स्टेट्री सभा)

कम्पनी आइनमें लिया है कि —प्रत्येक कम्पनी व्यापार शुरू करनेके अधिकार प्राप्त करनेके ६ महीने पश्चात् हिस्सेदारों की साधारण सभा आमन्त्रण करेगी। और ऐसी सभा 'स्टेट्री सभा' कहावेगी।

इस सभाका निमन्त्रण, सभाके दिवसके कमसे कम १० दिन पहले उसके प्रत्येक हिस्सेदारको दिया जायगा।

इस सभामें कम्पनीकी प्रथम रिपोर्ट जिसपर कमसे कम दो डाइरेक्टरोंके और जहाँ एक ही डाइरेक्टर हो तो सिर्फ उस हीके दस्तपत्र रहेंगे, पेशकी जायगी। यह रिपोर्ट स्टेट्री रिपोर्ट कहलायगी।

इस स्टेट्री रिपोर्टमें दिये गये हिस्सोंका उनपर प्राप्त रकम एवम् रिपोर्टको तारीखके सात दिन पहले दृतके

कम्पनीके आय व्ययका और डाइरेक्टर, सेमेजर, आडीटर व सेक्रेटरीका नाम व पता आदि पूर्ण व्यौरा दिया जायगा। यह रिपोर्ट कम्पनीके आडिटरों द्वारा तस्वीक होगी, और इसकी एक प्रति रजिस्ट्रारके दफ्तरमें भी दाखिल की जायगी।

प्राइवेट कम्पनीके लिये उपर्युक्त सभाका करना चाह्य न होगा। (धारा ७७)

इस सभामें डाइरेक्टर लोग कम्पनीके सदस्योंकी एक सूची, मय उनके पते व्यौरे व लिये गये हिस्सोंके व्यौरेके साथ तैयार करेगी और सभाके समयमें प्रत्येक सदस्यके निरीक्षणके लिये तैयार रखलेगी।

साधारण सभा ।

प्रत्येक कम्पनी कम्पसेकम सालमें, और अधिक पन्द्रह महीनेमें एकवार अवश्य साधारण सभा निमन्वित करेगी। इसके भद्दमें कम्पनी एवम् उसका प्रत्येक आफिसर रु० ५००) तकके जुर्मानेके दण्डका दोषी होगा। और अदालत कम्पनीके किसी भी सदस्यकी प्रार्थना आनेपर इस अवधिके पश्चात्, साधारण सभा निमन्वित करेगी अथवा करनेकी आशा जारी कर देगी। (धारा ७६)

इस धार्षिक साधारण सभामें कम्पनी आइन धारा १३१ के अनुसार तैयार किया हुआ लेन देनका आँकड़ा, आडिटरकी रिपोर्ट व साल भरके कार्य पर, डाइरेक्टरोंकी व्यवस्था आदि पेशकी जायगी।

इस वार्षिक साधारण सभाका निमन्त्रण प्रत्येक सदस्यको सभाके दिवसके कमसेकम ७ दिवस पहले दिया जायगा ।

इसी सभामें आगामी वर्षके लिये, कम्पनीके नियम उपनियमोंसे पदत्याग करनेवाले डाइरेक्टरोंके स्थानमें नवीन डाइरेक्टर, विगत आडिटरोंके स्थानमें नवीन आडीटर शेअर होटडरों द्वारा चुने जाते हैं। मुनाफे आदिका दिया जाना भी इसी सभामें निश्चित एवम् निर्मित होता है ।

मुनाफेके सम्बन्धमें कम्पनी आइनमें लिखा है कि, मुनाफा पूँजीमेंसे नहीं दिया जायगा । यदि मुनाफा काफी होगा, तो सालके मध्यमें भी डाइरेक्टर लोग मुनाफा दे सकेंगे । ऐसा मुनाफा इनटेरोम-डिवीडेण्डके नामसे कहा जायगा । साधारण-सभामें प्रकट किया जानेवाला मुनाफा डायरेक्टरोंकी सूचनासे विशेष न होगा ।

परन्तु उन हिस्सोंपर कि, जो कोई ऐसा कारखानोंके अथवा मशीनरी बनाने योग्य पूँजी जुटानेके लिये दिये जायेंगे कि, जिसका काफी असें तक लाभप्रद होना अशक्य होगा, पूँजीमें स्थानीय सरकारकी आशासे ब्याज दिया जा सकेगा ।
(धारा १०७)

असाधारण व विशेष सभाये ।

कार्य विशेषके लिये निमन्त्रित सभायें असाधारण अथवा विशेष सभाये कहलाती हैं । इसके निमन्त्रण भी १२५८८रों हो है । — — — आदि ।

है कि, कम्पनीके डाइरेक्टरोंको उसके दशमाश भराई हुई पूँजीके हिस्सेदारोंकी जिन्होंने, कभी उनपर सब हिस्सोंके सामी की किस्तें अद्वा कर दी हैं। प्रार्थना आनेपर और उनके सभा निमन्त्रणका उद्देश लिखकर कम्पनीके दफतरमें जमाकरा देनेपर कम्पनीको साधारण सभा निमन्त्रित करना होगा। और ऐसी सादा सभा असाधारण-साधारण-सभा कहलावेगी। यदि इस प्रार्थनासे २१ दिवसमें डाइरेक्टर लोग सभा आमन्वित न करेंगे, तो प्रार्थी हिस्सेदारोंको अधिकार होगा कि, वे तीन माहके भीतर सभा आमन्वित करले। और इस सभामें स्वीकृत प्रस्तावके समर्थनके लिये, यदि कम्पनीकी साधारण सभाकी आवश्यकता होगी, तो डाइरेक्टर लोग पहली सभाके दिवससे ७ दिनमें फिर सभा आमन्वित करेंगे। यदि वे ऐसा न करे तो हिस्सेदार स्वयम् ऐसी सभा बुला सकेंगे।

कम्पनी आइन धारा ७ में लिया है कि, कम्पनीके नियम उपनियमोंके भड्डमें और उनके अनुसार साधारण सभा तमाम हिस्सेदारोंको १४ दिवसकी लिखित सूचना देकर, कोई भी ५ स्सेदारों द्वारा बुलाई जा सकेगी। ऐसी सभामें प्रत्येक हिस्सेदारका एक मत होगा।

असाधारण व विशेष प्रस्ताव।

यह प्रस्ताव जो मत दे सकने वाले उपस्थित हिस्सेदारों, अथवा उनके प्रतिनिधियोंके तीन चतुर्थांशके बहुमतसे उस सभामें, जिसमें उसके पेश किये जानेकी यादस्तूर सूचना दे

दी गई है, पास हो तो उसे असाधारण प्रस्ताव कहते हैं। (धारा ८१) इसके अलावा जो प्रस्ताव असाधारण प्रस्तावकी भाँति स्वीकृत होनेके पश्चात् फिर पहली सभाके कमसेकम १४ दिवस बाद और अधिकसे अधिक एक माह पहले निम्नलिखितकी गई सभामें बहुमतसे समर्थित है, तो वह विशेष प्रस्ताव कहलाता है।

विशेष प्रस्ताव निश्चिलिपित कार्यों के लिये प्रयोजनीय है।

(१) कम्पनीका नाम परिवर्त्तन करनेके लिये। (धारा ११) नाम परिवर्तनमें सानीय सरकारीकी भी आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।

(२) कम्पनीके सनद-पत्र वाले उद्देशकी धाराको परिवर्तन करनेके लिए (धारा १२) इसके लिये अदालतकी पूर्व आज्ञा आवश्यक है।

(३) कम्पनीके नियम उपनियमके परिवर्तनके लिये। (धारा २०)

(४) पूँजी घटानेके लिये अथवा वेमराई हुई पूँजीको रद्द करनेके लिये (धारा ५५) इसके लिए भी अदालतकी पूर्व आज्ञा आवश्यक है।

(५) विनाभराई हुई अथवा विना माँगी हुई, पूँजीको कम्पनीका काम समेटनेके समय ही माँगने अथवा भरानेका निश्चय करनेके लिए। (धारा ० ६६)

(६) सञ्चालकोंकी जोखम अपरिमित करनेके लिये (धारा ६१)

(७) कम्पनीके कारोबारकी तद्दकीकात करनेके लिये इन्स्पेक्टर नियुक्त करनेके लिये (धारा २७२)

(८) प्राइवेट कम्पनीको पब्लिक कम्पनी घनानेके लिये (धारा २५४)

(९) कम्पनीका काम अदालतके द्वारा, अथवा स्वयमेव समेट लिया जाय। इस विषयका प्रस्ताव पास करनेके लिए (धारा २०३) ।

(१०) काम समेटनेके लिये “लिकीडेटर” नियुक्त करनेके लिये (धारा २१३)

(११) कम्पनीके हिस्सोंके छोटे, बड़े अथवा भिन्न भिन्न रकमके करनेके लिये । (धारा ५०)

इसी प्रकार असाधारण प्रस्ताव धारा २०३, २०६, २११, २१२, २३४ और २४२ के सम्बन्धमें प्रयोजनीय हैं।

असाधारण एवम् विशेष प्रस्तावकी प्रतियाँ दाइप द्वारा लिखी हुई, अथवा छपी हुई होना आवश्यक हैं। (धारा ८२) इसकी प्रति अन्य कर्गजोंकी भाँति रजिस्ट्रारके यहाँ भी दाखिल करना पड़ता है।

हिस्से और उनके भेद ।

कम्पनीकी पूँजी इकट्ठी करनेके तीन साधन हैं। उनमें पहला हिस्सों, दूसरा स्टाफ, और तीसरा डिपेंशरफा है। स्टाफका प्रयोग हमारे देशमें बहुत ही कम है। यथापि आठनने

स्टाक सम्बन्धी नियमोंका भी विधान कर दिया है, परन्तु भारतवर्षमें आजतक किसी भी कम्पनीने अपने हिस्सोंको स्टाकमें परिवर्तित करके इन नियमोंको व्यवहृत नहीं किया है। लगभग प्रत्येक कम्पनीके नियम उपनियमोंमें भी हिस्सोंकी स्टाकमें परिवर्तन करनेका एक उपनियम होता है। पूर्ण भरे हुए हिस्सोंको स्टाकमें परिवर्तित किया जाता है। अस्तु पहले हिस्सोंकी पूर्ण जानकारी प्रयोजनीय है।

हिस्सेकी परिभाषा कम्पनी आइन धारा २ (१६) में इस प्रकार दी गई है। “शेअर अर्थात् हिस्सेदे कम्पनीकी पूँजीमें हिस्सा प्रयोज्य है, और इसमें स्टाक भी अन्तर्गत है। स्टाकको जबतक कि प्रकट अधवा अप्रकट रूपसे पृथक नहीं किया गया हो।” शेअरकी उक्त परिभाषा, परिभाषा नहीं है। जिस शब्दकी परिभाषा करनेकी चेष्टा की जा रही है, वही फिर उसमें दुहराया जाता है। इंग्लिशानका सन् १६०८ का कम्पनी-आइन भी इस विषयमें इतना ही दोष पूर्ण है। न्यायाधीश फेअरवेल (Fairwell) ने सन् १६०१ में वोरलेण्ड ट्रस्टी प्रतिवादी स्टील ब्रदर्सके मुकद्दमेमें शेअरकी व्याप्ता करते हुए कहा था कि —

“A share is the interest of a share holder in the Company measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second; but also consisting of .

a series of mutual covenants entered into by all the shareholders in interest."

याने शेअर हिस्सेदारको कम्पनीमें वह मतालगा है, जो प्रथमत कम्पनीकी वैशक्तिक जोखामको प्रदर्शित करता है, और दूसरे प्रत्येक व्यक्तिके मतालप्रेकी इह बाँध देता है। केवल इतना ही नहीं, परन्तु यह तमाम हिस्सोंदारोंको आपसमें एक दूसरेसे किये गये पणोंके नमान बाँध देता है। ये हिस्से कई प्रकारके होते हैं।

(१) डिफरेंस (ग्रेजर) हिस्से। इन्हें व्यापारी लोग व्याज के शेअर अथवा हिस्से कहते हैं। इन हिस्सोंवालोंको मुनाफा पूर्व निश्चित दरके अनुमार ही मिलता है। यदि कानीका मुनाफा पासा हो, तो उसका लाभ इन्हें सधारणत नहीं मिलता। इनके मुनाफेकी दर कम्पनीके मुनाफेके साथ साथ न हो घटनी है, और न घट्या घडती ही है। इन हिस्सेवालोंको अलगता आर्डिनरी हिस्सेवालोंकी अपेक्षा कुछ अधिकार विशेष रहते हैं। इन विशेष अधिकारोंका कम्पनीदे नियम उपनियमोंमें उल्लेप रहता है। इन्हीं विशेष अधिकारोंके कारण इन हिस्सोंको अगरेजोंमें प्रोफरेन्स हिस्से कहा जाता है। यह अधिकार दो प्रकारका हो सकता है। एक तो सिर्फ मुनाफे सम्बन्धी, और दूसरा मुनाफे एवम् पूँजी सम्बन्धी। मुनाफेने विशेष अधिकारके अनुमार इन्हें निश्चित दरसे मुनाफा देनेने वाल घचा हुआ मुनाफा ही अब हिस्सेदारोंमें बांटा जा सकता

है। जबतक मुनाफा काफी बड़ा न हो तबतक मुनाफा पाने पहला हक्क इन्हें प्राप्त है। पूँजी सम्बन्धी विशेष अधिकार अनुसार इन हिस्सेवालोंको कम्पनीके काम समेटनेपर कारों व डिपेन्चर वालोंका पैसा चुका देनेके बाद, वची कम्पनीकी पूँजीमेंसे अपना स्पया पहले प्राप्त करनेका हक्क रहता है। ये प्रीफरेंस हिस्से भी दो प्रकारके होते हैं। एकको अरेजीमें प्रिफरेंस और दूसरेको प्रिफर्ड हिस्से कहते हैं। दोनोंमें अन्तर केवल इतना ही है कि, दूसरी किरमके हिस्सों व्याज प्रति वर्ष इकट्ठा होता जाता है। और जब तक हिस्सोंका सारा व्याज मुनाफेमेंसे पाई पाई न चुक जाय, तक न तो प्रीफरेंस और न किसी अन्य प्रकारके हिस्सेवालों मुनाफा बाँटा जा सकता है।

(२) आर्डोनरी हिस्से। ये भी कई प्रकारके होते हैं आर्डोनरी, डिफडे आर्डिनर, और फाउण्डर्स हिस्से। मामूल आर्डोनरी हिस्सोंको उक दोनों प्रकारके प्रिफरेंस हिस्सोंका मुनाफा बाँट देनेके पश्चात् मुनाफा बाँटा जाता है। यदि प्रिफरेंसिस्सोंको पूँजी सम्बन्धी भी विशेष अधिकार प्राप्त हों, तो कम्पनीका काम समेटते समय उनको पूँजी लौटानेके पश्चात् जो वचे वह सब इन्हीं हिस्सेवालोंमें हिस्सोंके हिसावसे बाँट दिया जाती है। यदि कम्पनीकी पूँजी केवल प्रिफरेंस और आर्डोनरी हिस्सोंमें ही विभक्त न हो, परन्तु डिफर्ड अथवा फाउडर्स हिस्से हों तो मुनाफे आदि के लिये हिस्से भी डिफर्ड व फाउ-

एंडर्स हिस्सोंकी अपेक्षासे प्रिफ्रैस हिस्से हो जाते हैं। गुद्धा आडोनरी हिस्सोंके मुनाफेकी भी एक सीमा घाँट दी जाती है, और खासकर उस समय जब कि, कम्पनीकी पूँजी कई प्रकारके हिस्सोंकी ननी हुई होती है। जब इन हिस्से वालोंको उक्त सीमातक मुनाफा मिल चुकता है, तो उस घर्षके शेष रचे हुए मुनाफे मेंसे फिर कुछ मुनाफा प्रिफ्रैस आदि हिस्से वालोंको घाँटा जाता है, अथवा दोनोंमें जिस प्रकार घाँटा जानेका कम्पनीके नियम उपनियमोंमें लिया हो घाँट दिया जाता है। जब डिफर्ड और फाउंडर्स हिस्से नहीं होते, तर कम्पनीका शेष बचा हुआ मुनाफा इन्हींको मिलता है। इन सभ प्रकारके हिस्सोंके मुनाफे एवम् पूँजी सम्बन्धी अधिकार-विशेष कम्पनीके नियम उपनियमोंमें दिये हुए होते हैं।

(३) कमीशनसे हिस्से। ये भी एक खास प्रकारके आडोनर्स हिस्से हैं। कम्पनीके उत्पादक लोग उसके प्रबन्धका भार अपने सिर न लेते हुए कम्पनीसे विशेष लाभ उठानेके लोभ का लोभ नहीं छोड़ सकते। अस्तु, वे कम्पनीके प्रबन्ध कर्त्तासे जिसे साधारणत लोग कम्पनीके पजाएट कहते हैं, उनका कमाया हुआ कमीशन भी उनमें घाँट लेना चाहते हैं। और कम्पनीके पजाएट लोग “जाता धन आधा दीजिये घाँट”की उक्तिके अनुसार अपने कमीशनका कुछ हिस्सा उन्हें घाँटनेका आपसमें इक रानामा कर लेते हैं। यथापि हिस्सोंके साथ इस कमीशनका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि इस कमीशनके उतने

उस समय तक उन्हींको गिनी जाती है जबतक कि, उनके रुपये उन्हें लौटा न दिये जायें। अस्तु उसे रहन व्यय करना अथवा उसमें किसी भी प्रकारका परिवर्तन करना हो, तो इन लोगोंको आशाके रिना नहीं किया जा सकता। कभी कभी डिवेश्वर निकालनेवालों कपनियाँ इनके लिये किसी खास मिल्कियतको वधन नहीं करता, परन्तु कपनीकी सारी मिल्कियत पर एक तरहका हक कायम कर देती है। इसे अँग्रेजीमें *A floating charge of General lion* कहते हैं। इससे कम्पनी अपनी मिल्कियतका व्यापारको फलदायी सदृपयोग करनेके हकसे नहीं महरुम की जाती। परन्तु इस दशामें सु अथवा कु प्रमन्यका घटूत असर पड़ता है। इस लिए कपनियाँ यहुधा अपनी स्थावर मिल्कियत साफ तौरसे बतक कर देती है। और जंगम मिल्कियत पर जनरल लियनका हफ दे देती है।

प्रत्येक डिवेश्वर द्वेष्टर कपनीका कर्जदार है। चाहे यह कर्ज बुनियाद या वे बुनियाद (Secured or unsecured) हो परन्तु जब कपनीका काम समेटा जाता है, तब इनकी शुकाई होनेके बाद ही हिस्सेदारोंमें कपनीकी शेय पूँजी वाँटी जा सकती है। इनका सूद भी एक प्रकारका देना (charge) है जिसे कपनीको मुहूर्तपर देना ही पड़ता है। कपनीके नफा कमाने न कमाने पर, यह दिया अथवा नहीं दिया जाय ऐसा नहीं हो सकता।

डिवेंचर्स कितनी तरह के होते हैं ?

डिवे चर्स दो तरहके होते हैं। एक रिडिमेवल और दूसरे इरिडिमेवल। रिडिमेवल डिवेंचर्स वे हैं, जिनको कपनी कुछ मुद्रत वाद चूकता कर देनेका वादा करती है। और जिनको ऐसा करनेका कपनी किसी प्रकारका वादा नहीं करती परन्तु जब घने तरफुका देनेकी हाँ करती है, उन्हें इरिडिमेवल अथवा परपेच्यूअल डिवेंचर्स कहते हैं। रिडिमेवल डिवेंचर्सके चुकानेके लिये कपनियाँ हरसाल मुनाफेका कुछ हिस्सा अलग कर देती हैं जिससे कि, मुद्रतपर उनको चुकाने योग्य रकम जुड़ जाय, और उनका व्याज भी दरसाल चुकता रहे। कुछ कपनियाँ इन अस्थिर डिवेंचरोंको प्रतिवर्ष चुकाती रहती हैं। परन्तु इस तरहसे नहीं कि अनुरूप सरयासे ही चुकाये जायँ। इसके लिये वे प्रति वर्ष लाटरी डाला करती हैं। इस लाटरीमें जिनका नवर आ जाता है उन्हें सूचना दे दी जाती है कि, तुम्हारे डिवे चरका स्पष्टा अमुक महीनेकी अमुक तारीखको चुकाया जायगा सो कपनीके दप्तरमें आकर ले जाना, और चाँट जमा करा जाना। इस प्रकारके चुकारेको “रिडेम्पशन वाईलाट” कहते हैं। *

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

दी अ० व० कम्पनी लिमिटेड ।

(प्रार्थना-रकमके जमाको रसीद ।)

प्रा० प०

स०

आज ता० को श्रीयुत' से
 रु० । अक्षरे रूपये आने पाई
 वावत उपर्युक्त कम्पनीके शेअर नग के प्रति शेअर रु०
 के हिसाबसे प्रार्थना रकमके भर पाये ।

रु० ।

टिकट

सूचना — यह रसीद सावधानीसे से रक्षित की जाय और
 फिर वँटनी पत्रके साथ लौटाकर शेअर-सार्टीफिकट इनके
 बदलेमें ले लिया जाय ।

दी अ० व० कम्पनी, लिमिटेड

(भारतीय कम्पनी आइन १९१३ द्वारा रजिस्ट्री की हुई।)

वैटनी पत्र।

व० ५०

एक आनेका
टिकट

सं

तारीखः १६

महाशय,

दी अ० व० कम्पनी लिमिटेडके डाइरेक्टरोंकी आश्वाके अनुसार इस पत्र द्वारा मैं आपको यह सूचना देता हूँ कि, आपकी प्रार्थनाके मुताबिक उन लोगोंने इस कम्पनीकी पूँजीमें रु० के शेअर नग आपको देना मजूर किये हैं।

शेअरोंकी वैटनी होनेपर रूपये प्रति शेअरके हिसाबसे रु० ऊपर लिये हुए शेअरोंके हिसाबमें आपको तरफ लेना निकलते हैं, जिनमेंसे आप रु० प्रार्थना रमकके रूपमें जमा करा चुके हैं। अब याकी रु० आपकी तरफ और लेना है, सो कृपया कम्पनीके सराफके यहाँ शीघ्र जमा करादें।

कृपया रूपया जमा कराते समय यह वैटनीपत्र साथ ले जाना न भूलें।

धीयुक्त

भवदीय

मन्त्री

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

७०

वैटनीकी रकम पानेकी सराफकी रसीद ।

आज तारीख को रुपया 'उपर्युक्त शेअरोंकी वैटनी
की रकमके जमा कराये सो जमा किए हैं ।

फार दी अ० व० कम्पनी लिमि०



खजानची

(यहाँसे फाड़कर दिया जाय ।)

(यह चुल्ही कम्पनीके सराफ फाड़कर अपने पास रख ले)

दी अ० व० कम्पनी, लिमिटेड ।

वैटनी पत्र सख्त्या

रकम लेनी रु०

११
कम्पनी व्यापार प्रवेशिका।

दी० अ० घ० कम्पनी लिमिटेड ।

(भारतीय कम्पनी आइन १९१३ द्वारा रजिस्ट्री कराई हुई ।)
 बैटनी पत्र ।

घ ५०

एक आनेका
 टिकट

सं० _____
 ता० १६

प्रेय महाशय,

दी अ० घ० कम्पनी लिमिटेडके डायरेक्टरोंकी ओरसे मुझे प्राप्तको यह सूचना देनेकी आज्ञा मिली है कि, उन लोगोंने आप की प्रार्थनाके अनुसार इस कम्पनीकी पूँजीके शेअर नग आप को देना स्वीकार किए हैं ।

शेअरोंकी प्रार्थना व बैटनीकी रकम

प्रति शेअर रु०	के हिसाबसे लेनी	रु०
----------------	-----------------	-----

धाद शेअर	की प्रार्थना रकमके	रु०
----------	--------------------	-----

दाकी लेना	रु०
-----------	-----

जो कृपया कम्पनीके सराफ _____
 के यहाँ शीघ्र जमा करा दे ।

जब शेअर-स्टॉफिकेट तैयार हो जायेंगे तब आपको सूचना दे दी जायगी । और आप इस पत्रको प्रार्थना रकमकी घ काल की रकमकी रसीदके साथ लौटाकर घद्य प्राप्तकर सकेंगे । इनके दिना लौटाये, स्टॉफिकेट साधारणत । नहीं दिया जायगा ।

ध्येयता,
 भवदीय,


मंत्री ।

सराफकी रसीद ।

आज ता० को रु० अक्षरे ..
 सिर्फ शेअरोंकी बँटनीकी रकमके जमा कराये
 सो जमा किये हैं ।

फार दी अ० घ० कम्पनी लिमी०,

रु०



खजानची

(यहाँसे फाडकर दिया जाय)

(यह चुल्ही कम्पनीका सराफ फाड कर अपने पास रख ले)

दी अ० घ० कम्पनी, लिमी० ।

बँटनी पत्र सख्त्या
 रकम लेनी रु०

दी अ० ख० कम्पनी, लिमिटेड ।

ता०

१६

ग्रिय महाशय,

मुझे वडे दु पके साथ आपको लिपना पडता है कि, आप की शेअरोंकी प्रार्थनाके अनुसार डायरेक्टर लोग आपको कम्पनीकी पूँजीमें किसी भी तरहका हिस्सा देनेसे लाचार है ।

हमया इस पत्रमें यीडा हुआ हमया का एक चेक आपकी जमा कराई हुई प्रार्थना रकमका चूकता सम्हाल ले । इस चेकके नीचे लगी हुई रसीदपर सही करके यदि आप भुगतान पानेके लिये भेजेंगे तो बड़ी कृपा होगी । चेकके साथ रसोद भी लगी है, इसलिये आप हमयोंकी पहुँच अलग लिपने का कष्ट न उठावे ।

श्रीयुत

भवदीय,

मंत्री ।

स०

घम्याई ता०

१६

दी क० ख० वैक, लिमिटेड,

एक आनेका टिकट

हमया श्रीयुत सही फर देनेपर हमये देवे ।

आर आईरको नीचेकी रसीद

कम्पनी व्यापार प्रवृत्तिका

नियोंके लिये कारण होगा । परन्तु प्रत्येक कम्पनी अपनी आवश्यकतानुसार अपने ही ढङ्का रजिस्टर बना सकती है ।

संख्या लगानेके लिये आजकल एक प्रकारकी छोटीसी मशीन आती है । यह मशीन, एकबार, दोबार, तीनबार, और थार बार एक ही संख्या छापे ऐसा उसमें प्रबन्ध होता है । इसके संख्या क्रममें कभी गलती नहीं पड़ती । यह मशीन बहुत सस्ती आती है । और प्रत्येक कम्पनी इसका उपयोगकरके संख्या लगानेकी मानवीय सुलभ भूलोंसे अपने आपको सुरक्षित रख सकती है । साथ ही बहुत ही योद्धे समयमें प्रार्थनार्थी-पर, रसीदोंपर, एवम् इनके दर्जे करनेकी फितावमें संख्या भरनेका काम एक साथ व शीघ्र सम्पन्न हो जाता है ।

प्रार्थना व बैटनी रजिस्टरके आदर्श फार्ममें कुल २३ खाने हैं । इसके घडनेमें यह बात भी लक्ष्यमें रखी गई है कि, हिस्सोंकी अर्जियाँ आवश्यकता अग्रातीत सरयामें आयेगी । और शेखरोंकी बैटनी उनके अनुसार न होगी । कई प्रार्थियोंको प्रार्थित-हिस्सोंसे कम और कइयोंको एक भी हिस्सा नहीं मिल सकेगा । इस दशामें उनकी जमा कराई हुई रकम पीछी लौटाना होगी । अस्तु, एक ही स्थानसे इन सब बातोंका पना लग सकनेके लिये, इतने विशेष-रजिस्टरकी आवश्यकता है । परन्तु आजकल हिस्से अधिक संख्यामें भरा जानेको बहुत ही-

आशा की जा सकती है । कम्पनियाँ हिस्से भरानेके लिए प्रलोभन देकर भी अन्तमें हतोत्साह होती है । अस्तु

जस्टर ।

जमा करानी की तारीख	रोकड अथवा पास दुक पृष्ठ	राम लीदाई गई	रोकड अथवा देक पास दुक पृष्ठ	पेशारी किस्तके जमा ८०	चाकी हेचा	शेवर सार्टीफ्रट सख्ता	शेपरोपा याता पृष्ठ	चिचरण
--------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	--------------------	-------

नियोंके लिये कारण होगा । परन्तु प्रत्येक कम्पनी अपनी आवश्यकतानुसार अपने ही ढङ्का रजिस्टर बना सकती है ।

सख्त लगानेके लिये आजकल एक प्रकारकी छोटीसी मशीन आती है । यह मशीन, एकगार, दोगार, तीनगार, और घार घार एक ही सख्त छापे ऐसा उसमें प्रवन्ध होता है । इसके संख्या कममें कभी गलती नहीं पड़ती । यह मशीन बहुत सस्ती आती है । और प्रत्येक कम्पनी इसका उपयोगकरके सख्त लगानेकी मानदीय सुलभ भूलोसे अपने आपको सुरक्षित रख सकती है । साथ ही बहुत ही थोड़े समयमें प्रार्थनाओंपर, रसीदोंपर, एवम् इनके दर्जे करनेकी किताबमें सख्त भरनेका काम एक साथ व शीघ्र सम्पन्न हो जाता है ।

प्रार्थना व बैटनी रजिस्टरके आदर्श फार्ममें कुल २३ खाने हैं । इसके घडनेमें यह बात भी लक्ष्यमें रखी गई है कि, हिस्सोंकी अर्जियाँ आवश्यकता अशातीत सख्तामें आयेगी । और शेवरोंकी बैटनी उनके अनुसार न होगी । कई प्रायियोंको प्रार्थित हिस्सोंसे कम और कहियोंको एक भी हिस्सा नहीं मिल सकेगा । इस दशामें उनकी जमा कराई हुई रकम पीछी लौटाना होगी । अस्तु, एक ही स्थानसे इन सब बातोंका पता लग सकनेके लिये, इतने चिशद रजिस्टरकी आवश्यकता है । परन्तु आजकल हिस्से अधिक संख्यामें भरा जानेको बहुत ही

आशा की जा सकती है । कम्पनियाँ हिस्से भरनेके लिए

प्रलोभन देकर भी अन्तमें दहोत्साह होती हैं । अस्तु

ज्ञाना नं० १७ से २८ आसानीसे कम किया जा सकता है। इसी प्रकार कई मनुष्य ऐसा भी समझते हैं कि, शेखरोंका कुल संपत्ति एक साथ जमा करा देनेसे कमनीके सचालक लोग उन्हें प्रार्थित शेखर पूर्ण ही दे देनेको ललचा जावे गे। अस्तु, वे पूर्ण संपत्ति जमाकरा देते हैं। प्रार्थना और बैटनी पर लेना संपत्ति बाद देकर याकी संपत्ति जाने १६ में दिया दिया जाता है।

शेखरोंकी प्रार्थनाओंके सम्बन्धमें एक बात खास ध्यानमें रखनेकी यह है कि, जिन प्रार्थियोंको डाइरेक्टर लोग हिस्से दिलाना आवश्यक समझ कर उनकी प्रार्थनाओंपर किसी प्रकारका चिन्ह करदे, बैटनीके समय उनका ही सबसे पहले विचार होना चाहिये।

‘प्रार्थनापत्र लेनेके पश्चात् हिस्सोंकी बैटनी करनेका काम है। जिस प्रकार प्रार्थना पत्र रजिस्टरमें प्रतिदिन तैयार होते जायँ, उनकी बैटनीका निर्णय कर देना चाहिये। यथोकि जपतक बैटनी पत्र प्रार्थीके नाम डाकमें नहीं छोड़ा जाता तर तक वह अपनी अर्जी वापिस कर सकता है। और बैटनी पत्र डाकमें छोड़ देनेपर कमनी और उसके बीच एक प्रकार पृण सम्बन्ध स्थिर हो जाता है।

जब बैटनी निश्चित हो जाती है, तो हिस्सेदारोंको इसकी इच्छा दी जाती है। इस इच्छाको ‘बैटनी पत्र’ फहते हैं। ये बैटनी पत्र प्रार्थना लेना बन्द होने और बैटनी निश्चित हो जानेपर छपाये जाने चाहिये। परन्तु जिन कम्पनियोंके हिस्से

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

पश्चात् एक माहके भीतर रजिस्ट्रारको फार्म नं० ४ के अनुसु वैटनीकी सूचना देना होती है।

वैटनीसे तीन महीनेमें साधारणतया प्रत्येक कम्पनीका हिस्सोंका प्रमाणपत्र प्रत्येक हिस्सोंदारको देना चाहिये। इस प्रमाण पत्रपर कम्सेकम दो डाइरेक्टरोंके दस्तपत्र होते हैं प्रत्येक प्रमाण-पत्रपर एक आनेका ट्रिकट और कम्पनीका मुहरका लगा रहना जरूरी है। प्रमाण-पत्र दिये जानेका अवधि, कम्पनी अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा भी सकती है केवल अपूर्ण भरे हुए हिस्सोंका प्रमाण-पत्र देनेमें सभसे भार असुविधा यह है कि, आगामी किस्तोंके देनेके साथ यह प्रमाण पत्र भी पुष्टपर किस्तके जमा करानेके लिये कम्पनीको भेजन पड़ता है। अस्तु, अपनी विवरण-पत्रिकामें कम्पनीको प्रमाण पत्र दिये जानेकी अवधिके विषयमें उल्लेख कर देना चाहिए।

यह प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्रके रूपके कागजपर ही छप दाना चाहिए। साधारणतया यह दो भागोंमें छपाया जाता है। जिनमेंसे पहला भाग प्रति पत्रिकाके तौरपर कम्पनीमें ही रहता है, और दूसरा भाग हिस्सेदारको दे दिया जाता है। इस प्रमाण पत्रकी पुष्टपर हिस्सोंमें हस्त-हस्तान्तरका हिसाब रखनेके लिये कई खाने होते हैं। इस सबका परिचय नमूनेसे स्पष्ट है।

पत्र प्रार्थना, वैटनी पत्रम् किस्तोंके जमाकी रसीद

लेकर दिया जाता है। यदि इनमेंसे कोई रसीद खोजाय अथवा एकपार दिया हुआ प्रमाण-पत्र खोजाय, फट जाय अथवा अन्य किसी प्रकार नष्ट हो जाय, तो सञ्चालकोंको कम्पनीके नियम उपनियमोंके अनुसार अधिकार होता है कि, वे ऐसे हिस्सेदारसे क्षति-पूरक पत्र लिखवाले। इस क्षति-पूरक पत्रका नमूना इसी पुस्तकमें दिया गया है। इस पत्रपर स्टाम्प एकटके अनुसार बाठ आनेका स्पेशल प्रणालीव स्टाम्प लगाना होता है।

हिस्सोंकी बैठनी कर देने पर हिस्सोंपर याकी लेनी रकमको विवरण पत्रिका अथवा कम्पनीके नियम उपनियमोंमें लिखी हुई किस्तोंके अनुसार वसूल करनेका काम है। परन्तु पूर्व इसके कि, हम हिस्सोंको किस्त माँगने परम् वसूल करनेकी परिपाटीसे परिचित हों, हमें शेषर होत्तरोंके सभी 'याने मेरवर्ष रजिस्टरका जान लेना आवश्यक है।' क्योंकि जब तक किसी व्यक्तिका इस राजस्टरमें नाम दर्ज नहीं किया जाय तब तक वह आइनको छोड़े कम्पनीका सदस्य याने हिस्सेदार नहीं माना जाता। अस्तु।

यह खाता दो अशोंमें विभक्त रहता है। एक अशमें केवल हिस्सोंका और हूसरे अशमें उनपर ली गई रकमोंका जमा दर्ज रहता है। इस प्रकारके खातेसे अत्येक हिस्सेदारने कित्तले हिस्से लिये हैं, और फिर हस्तान्तरित किये हैं। का उल्लेप रहता है। यह खाता प्रथमत

इस प्रमाण पत्रके प्रत्येक हिस्से पर निम्नलिखित रकम
कम्पा करा दी गई है :—

करानेकी पश्चा तारीख वैटर	रकम	मनेजिंग एजन्ट सके दस्तखत
१६	प्रार्थना पर रु०	
हिस्त १६	वैटनी याने शेअर मिलनेपर रु०	
प्रमा १६	पहली किस्त रु०	
प्रत्ये १६	दूसरी „ रु०	
मुहर १६		
अर्वा १६	तीसरी „ रु०	

केवलअर पृथक लेप द्वारा हस्तान्तरित (वेचे) किये गये हैं।

असुरी पत्र तारीख	विक्री लेख	वेचे गये हिस्सोंकी तादाद	विरोद्दारका नाम	पैदा दस्तखत करने की क्षमता
पड़तनेकी पत्र	सख्त्या			
चाहि				
वाना है । ।				
रहता				
इस ।				
रखने				

लेकर दिया जाता है। यदि इनमेंसे कोई रसीद खोजाय अथवा एकत्र दिया हुआ प्रमाण पत्र खोजाय, फट जाय अथवा अन्य किसी प्रकार नष्ट हो जाय, तो सञ्चालकोंको कम्पनीके नियम उपनियमोंके अनुसार अधिकार होता है कि, वे ऐसे हिस्सेदारसे क्षति-पूरक पत्र लिखवाले। इस क्षति-पूरक पत्रका नमूना इसी पुस्तकमें दिया गया है। इस पत्रपर स्थान प्रकटके अनुसार आठ आनेका स्पेशल एलडसिव स्टाम्प लगाना होता है।

हिस्सोंकी बैटनी कर देने पर हिस्सोंपर याकी लेनी रकमफो विवरण पत्रिका अथवा कम्पनीके नियम उपनियमोंमें लिपी हुई किस्तोंके अनुसार घसूल करनेका काम है। परन्तु पूर्व इसके कि, हम हिस्सोंको किस्त माँगने पवार घसूल करनेको परियाटीसे परिचित हों, हमें शेवर होल्डरोंके सभी याने मेम्बर्स रजिस्टरका जान लेना आवश्यक है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्तिका इस रजिस्टरमें नाम दर्ज नहीं किया जाय तब तक घद आइनको रखे कम्पनीका सदस्य याने हिस्सेदार नहीं माना जाता। अस्तु।

यह पाता दो बंशोंमें विभक्त रहता है। एक बंशमें केवल हिस्सोंका और दूसरे बंशमें उनपर ली गई रकमोंका जमा पर्व रहता है। इस प्रकारके पातेसे प्रत्येक हिस्सेदारने कितने हिस्से लिये हैं, और फिर हस्तान्तरित किये हैं, इन मन का उल्लेख रहता है। यह पाता प्रथमत बैटनी रजिस्टर

शेअर सार्टफिकेटकी नकलकी प्रार्थना ।

श्रीयुत डाइरेक्टर साहब,

दी अ० ब० कं०, लि०,

सं०

नवीन सार्टफिकेट
नं० _____ का
दिया गया ।

मन्त्री

महाशय,

वायत सार्टफिकट न०

मेरा शेअर सार्टफिकेट नं० वायत कम्पनीके शेअर
नग अक्षरे जिनकी संस्था
से तक है, फट गया है, अथवा कही गैरपते रखा गया
है। इसलिए प्रार्थना है कि मुझे उक्त शेअरोंका नया सार्टफि-
कट दिया जाय। यदि इसके देनेसे आपको किसी तरहका
नुकसान उठाना पड़े, तो उसे पूराकर देने और सदैव आपको
ऐसे नुकसानसे बचाये रखनेकी मैं इस पत्र द्वारा प्रतिज्ञा करता
हूँ। साथही यह भी निवेदन करता हूँ कि, मैंने उक्त शेअर
सार्टफिकट जान बूझकर नहीं पोया है। यदि यह भवित्व
कभी मिल जायेगा तो आपको लाकर दे दूँगा।

साक्षी (गवाह) ।

भवदीय,

पूरानाम

} शेअर होटडरके द०

पूरा नाम

ब्यवसाय

पूरा पता : . . .

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

खताकर तैयार किया जाता है। मिशन जानिके लिये पृथक पृथक पाते वही रखना चाहिए। इसमें अकारादि क्रमसे पाते डालनेकी ओर निशेष ध्यान नहीं आवश्यकता नहीं है, घरन् वैटनी रजिस्टरके सिल नेसे ही पाते डाल लेना उपयोगी रहता है। इस पातेके त्र पृष्ठ पर अमुक हिस्सेदारका पाता लगाया गया है, इसके निके लिये एक निघण्टु वर्णा-नुक्रमसे तैयार कर लिया जा है। अंग्रेजीमें इस प्रकारका निघटु भरोंके हिसाबसे बनाया जाता है। इस भाषामें प ई आई ओ यू और वाय ये छ सर अस्तु प्रत्येक वर्ण छ वर्गों एवम् छ उपवर्गोंमें विभक्तः दिया जाता है। उदाहरणार्थ, अलार्डिस (Allardice) मक व्यक्तिका नाम निघण्टुके अवर्णके अवर्ग एवम् आई वर्गमें लिया जायगा। हिन्दीमें भी इसी प्रकार निघटु नाया जा सकता है। हिन्दी वर्णमालामें १६ स्वर और ३३ अञ्जन मिलाकर कुछ ४६ अक्षर हैं। इनमेंसे अ, इ, उ, ऊ, ए, ओ, अ अ, ट, झ, और ण, से प्रारम्भ होने वाले नाम शायद ही मुननेमें आते हैं। अरतु ११ अक्षरोंको क्रम कर देनेपर कुल ४८ अक्षर निघटुके लिये रह जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस दीर्घके भेदका विचार न रखकर मात्राओंकी श्रेणी नियत करे, तो आई ऊ ए व औ इस प्रकार पाँच श्रेणियाँकी जा सकती हैं। और इसी मात्रानुक्रमसे ये पाँचों श्रेणियाँ उपश्रेणि योंमें विभक्त की जा सकती हैं। अब यदि हम उपर्युक्त व्यक्ति

शेअर सार्टफिकेटकी नकलकी प्रार्थना ।

श्रीयुत डाइरेक्टर साहब,

दी अ० व० कं०, लि०,

स०

नवीन सार्टफिकेट
नं० _____ का
दिया गया ।

मन्त्री

महाशय,

वायत सार्टफिकट नं०

मेरा शेअर सार्टफिकेट न० वायत कम्पनीके शेअर नग अक्षरे जिनकी संख्या से तक है, फट गया है, अथवा कहाँ गैरपते रखा गया है। इसलिए प्रार्थना है कि मुझे उक्त शेअरोंका नया सार्टफिकट दिया जाय। यदि इसके देनेसे आपको किसी तरहका नुकसान उठाना पड़े, तो उसे पूराकर देने और सदैव आपको ऐसे नुकसानसे बचाये रखनेकी मैं इस पत्र छारा प्रतिश्वाकरता हूँ। साथही यह भी निवेदन करता हूँ कि, मैंने उक्त शेअर सार्टफिकट जान खूँझकर नहीं खोया है। यदि वह भविष्यमें कभी मिल जायेगा तो आपको लाकर दे दूँगा।

साक्षी (गवाह) ।

भवदीय,

पूरानाम

} शेअर होल्डरके द०

व्यवसाय

पूरा नाम

पूरपता

व्यवसाय

पूरा पता :

से खताकर तैयार किया जाता है। भिन्न जातिके हिस्सोंके लिये पृथक पृथक पाते वही रखना चाहिए। इस पातेमें अकारादि क्रमसे पाते डालनेकी ओर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं है, बरन् वँटनी रजिस्टरके सिल सिलेसे ही पाते डाल लेना उपयोगी रहता है। इस पातेके किस पृष्ठ पर अमुक हिस्सेदारका खाता लगाया गया है, इसके जाननेके लिये एक निघण्टु वर्णा-नुक्रमसे तैयार कर लिया जाता है। अब्रेजीमें इस प्रकारका निघण्टु खरोंके हिसाबसे बनाया जाता है। इस भाषामें ए ई आई ओ यू और वाय ये छ खर हैं। अस्तु प्रत्येक वर्ण छ वर्गों एवम् छ उपवर्गोंमें विभक्त कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, अलार्डिस (Allardice) नामक व्यक्तिका नाम निघण्टुके अपर्णके अवर्ग एवम् आई उपवर्गमें लिया जायगा। हिन्दीमें भी इसी प्रकार निघण्टु बनाया जा सकता है। हिन्दी वर्णमालामें १६ खर और ३३ व्यञ्जन मिलाकर कुछ ४९ अक्षर हैं। इनमेंसे भ, ल, ल्ल, ए, ऐ, ओ, अं अ, ट, घ, और ण, से प्रारम्भ होने वाले नाम शायद ही सुननेमें आते हैं। अस्तु ११ अक्षरोंको कम कर देनेपर कुल ३८ अक्षर निघण्टुके लिये रह जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम हम्ब दीर्घके भेदका प्रिचार न रखकर मात्राओंकी श्रेणी नियत करे, तो आई ऊ ए व ओ इस प्रकार पाँच श्रेणियाँको जा सकती हैं। और इसी मात्रानुक्रमसे ये पाँचों श्रेणियाँ उपश्रेणि, योंमें प्रिभक की जा सकती हैं। अब यदि हम उपर्युक्त

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

हिस्सोंका प्रमाण-पत्र हिस्सेदारानको दे देती है, वह इस सूचनामें प्रत्येक हिस्सेदारको इस प्रमाण पत्रकी पुरातन किश्तके रूपये जमा करानेके लिये कम्पनीमें भेज देनेकी इच्छिला दे देती है। कोई कोई कम्पनी प्रमाण पत्र दे देने पश्चात् किस्तोंकी अदायगी की पृथक रसीद नहीं देती। यह व्यवहार ठीक नहीं है। चाहे प्रमाण-पत्र दिये गये हों अथवा नहीं किस्तकी पृथक रसीद दी जाना उचित है। इन रसीदोंका प्रति-पत्रिका प्रमाण पत्रोंकी गैरमौजूदगीमें मूल वाउचरोंका काम देती है। दूसरे, किस्तकी प्रति दिवसकी आयका हिसाब रखनेमें इनसे बड़ी सहायित रहती है। अन्यथा इसके लिए एक पृथक रजिस्टर पोलना आवश्यक हो जाता है।

किस्तकी सूचना देनेके पहले किस्तकी सूची तैयार कर चाहिए। इस सूचीकी खाना बन्दी इस पुस्तकमें दी गई है। यह सूची कई प्रकारसे उपयोगी रहती है। प्रथम हिस्सेदारमें किस्तकी लेनी रकम जाननेके लिये उसके प्रमाण पत्रकी प्रति-पत्रिका अथवा उसका खाता देखनेकी दिक्षा उठानी नहीं पड़ती। दूसरे यह सूची साथकी साथ घकाया किस्तकी सूची भी तैयार करती जाती है। इसकी गैरमौजूदगीमें घकाया किस्तकी सूची तैयार करना बड़ा भारी काम हो जाता है।

कम्पनीके हिस्से जैसा कि पहले कहा जा चुका है अन्यान्य
भाँति खरीदे व बेचे जाते हैं। कई कम्पनियोंकी बैंटर

रु० १०००) से आगे प्रत्येक रु० ५००) पर २॥)

प्रत्येक ट्रान्सफरके साथ शेअर सार्टीफिकटका कम्पनीमें आना जरूरी है। यिना सार्टीफिकेटके दिया हुआ ट्रान्सफर निष्फल है। ट्रान्सफर पत्रमें शेअरके सार्टीफिकेटका जिक्र कहीं भी नहीं होता। इसलिए कम्पनियाँ एक रवरकी मुहर

दी अ० व० कम्पनी लिमिटेड,

स०
शेअर
सार्टीफि-
कट न०

}

शेअर बेचनेकी प्रार्थना ।

टिकट

में *

का घलिहाज रु०

निवासी

जो कि मुझको घनाम ।

रहनेवाले

* यहाँपर बेचनेवालेका नाम घ पता लिखा जाय ।

। यहाँपर खरीददारका नाम घ पता लिखा जाय ।

‘से प्राप्त हुये हैं, मेरे हिस्से नग जिनकी
 सख्ति से तक है और जो दी अ० व० क० कम्पनी लिमि-
 टेड (वार्सिस) एडमिनिस्ट्रेटर अथवा पक्जीक्यूटर (कार्यवाहक)
 को, अथवा जिन्हें वे लोग फिर बेचदें उन सवको उन शर्तों पर
 जिनपर मैं इस समय इनका मालिक हूँ, और कम्पनीके मेमोरे-
 एडम व आर्टोंकल्स आफ असोसियेशनकी शर्तों पर बेचता हूँ ।
 और मैं उक्त परीदार इस समय उपर्युक्त हिस्से उन्हीं शर्तों के
 अनुसार परीद करनेका इकरार करता हूँ ।

बतौर साक्षीके आज ता० माह सन्
 १६ ई० को हम दोनों नीचे दस्तखत करते हैं ।

साक्षी (गवाह) ।

पूरा नाम	} दस्तखत बेचनेवाला
पूरा पता	
व्यवसाय	

दस्तखत परीददार

पूरा नाम	} पूरा नाम
पूरा पता	
व्यवसाय	

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

६२

यनवा लेती हैं। इस मुहरका मजमून इस प्रकार होता है। यह स्टाम्प साधारणतः औ अथवा था। इच्छसे विशेष लम्बी नहीं होती।

मुहरका नमूना।

ट्रान्सफर लिखे गये हिस्सोंका सार्टीफिकट न० कम्पनी में जमा करा दिया गया है।

ता०

१६

मन्त्री।

ट्रान्सफर सार्टीफिकेशनका हमारे अधिकतर रिवाज नहीं है। परन्तु पाश्चात्य-देशोंमें यह बहुत प्रचलित है। अस्तु प्रत्येक कम्पनीमें सार्टीफिकेशनका एक पृथक रजिस्टर रहता है। उन देशोंमें शेअरोंकी बिक्रीमें सार्टीफिकट डिलीवर करनेके स्थानमें इस प्रकारके ट्रान्सफरकी डिलीवरी देवी जाती है। अस्तु

जब कम्पनीमें ट्रान्सफर-डीडशेभर सार्टीफिकटके साथ रजिस्ट्रीके लिए पेश किया जाता है, तो वह उसी क्षण रजिस्टर करके नहीं लौटा दिया जाता है। ट्रान्सफर स्वीकार करनेका अधिकार सचालक मण्डलको है। और इनकी स्वीकृतिके लिये सचालक मण्डलकी बैठकमें एक पृथक प्रस्ताव पास किया जाता है। अस्तु ट्रान्सफर डीड जमा करानेवालेको उस समय रखीद देवी जाती है। इस रसीदका नमूना आगेके

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

七

一
三

टान्सफर-डाउनका
ली स० य० करपती लि मिटेड
टान्सफर डीडकी रसीद।
यमर्य

तिथि २.१०.२२.

三

ता० २ दृ० ८

ग्रन्थालय

ग्रहणदर्श

३५८

四百三十

तरफ़ सूची

5

1

1

प्राचीन भारतीय संस्कृति

१०६ यात्रतरोपर

सायोफिक्स २०० का

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

ग्रन्थालय

३५८

90

10

۱۳۷۹

1

三

四

१०

卷之三

पृष्ठमे दे दिया गया है। ट्रान्सफर रजिस्ट्रीकी फीसका व्यौग प्रत्येक कम्पनीके नियम उपनियमोंमें दिया होता है। उसी प्रकार प्रत्येक ट्रान्सफरकी फीस लेली जाती है। इस फीसकी पृथक रसीद देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विना फीसके कोई भी ट्रान्सफर कम्पनीकी वहियोंमें रजिस्ट्री नहीं होता। अस्तु ट्रान्सफर डीडकी रसीदें एवम् ट्रान्सफर रजिस्टर इसके बाउचरोंका काम हिसाब परीक्षाके लिये दे देते हैं।

ट्रान्सफर डीडकी रसीदके साथमें एक और रसीद भी कम्पनियोंमें होती है, जिसे घकाया हिस्सोंका टिकट कहते हैं। इसका उपयोग उस समय होता है जब कि एक सार्टेफिकेटमें से कुछ हिस्से हस्तान्तरित न हों और उनके लिए नवीन सार्टेफिकेट बना न हो। इस टिकटका नमूना आगेके पृष्ठमें दे दिया गया है। इस टिकटमें यह भी लिख दिया जाता है कि, घकाया हिस्सोंको हस्तान्तर करनेके ट्रान्सफर-डीड अमुक तारीख तक कम्पनीमें रजिस्ट्री करा देना चाहिये, अन्यथा नया सार्टेफिकेट तैयार कर दिया जायगा और जो इस टिकटके एवजमें अमुक तारीखको दे दिया जायगा। प्रत्येक ट्रान्सफरके साथ वह टिकट कम्पनीमें जमा करनेपर ट्रान्सफर रजिस्ट्री किया जायगा और घकाया हिस्सोंके लिये नया टिकट दे जायगा।

इन ट्रान्सफरोंका एक रजिस्टर रखा जाता है। रजिस्टरमें खरीददारका नाम दर्ज हो जानेपर ही यह

सदस्य नहीं हो जाना चरन् सदस्य रजिस्टरमें नाम दर्ज होनेपर यह सदस्य समझा जाता है। और सदस्य रजिस्टरमें नाम तभी दर्ज होता है, जब कि सचालक मण्डल अथवा ट्रान्सफर स्प्रीकार फरोवालो उपसमिति उन्हें स्प्रीकार कर लेती है। इस रजिस्टरके तो काम है। प्रयत्न तो गोड़के समक्ष पेश किये जानेवाले ट्रान्सफर्टोंको सूची उपस्थित करना, औरा दूसरा सदस्य रजिस्टरके तैयार करनेमें नगल घोका सा काम देना है।

ट्रान्सफरके सम्बन्धमें यह गत ध्यानमें रखना चाहिए कि यदि एक सार्टेंफिकट के पूर्ण हिस्से एक ही व्यक्तिको देचे जायें, तो उसके लिये नया प्रमाण पत्र नहीं तैयार किया जाय। चरन् उसी प्रमाण पत्रकी पुश्तपर ट्रान्सफरके दिये हुए पानोंकी खाना घरी पूर्ण करके यही दारको संपत्ति दिया जाय। नया सार्टेंफिकट केवल उसी दशामें तैयार किया जाय जब कि पुश्तपर और नाम दर्ज करनेकी नगद न हो अथवा पूर्ण हिस्से एक ही व्यक्तिको हस्तान्तरित न हों। और जब ऐसा मौका आता है, तो इस सार्टेंफिकटके टुकडे कराने पड़ते हैं। इसको अगरेजीमें स्प्लिटिंग (Splitting) कहते हैं। स्प्लिटिंगकी फीस अलाहदा ली जाती है। स्प्लिटकी रसीदमें लियी मुद्रतके भीतर यदि स्प्लिट को स्प्लिट करनेकी प्रार्थना न की जाय, तो नया सार्टेंफिकट तैयार कर दिया जाता है और यह इस रसीदके एवजमें दे दिया जाता है।

शेयर देवनेके अलावा उनके सामी

कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

प्रकारसे भी होता है। स्वामी परिवर्तनको 'बंगरेजीमें द्राखीशन कहते हैं। जब रजिस्टर्ड हिस्सेदार फौत हो जाता है तो ये हिस्से उसके उत्तराधिकारीको मिलते हैं। परन्तु उत्तराधिकारी उस समय तक उनका मालिक नहीं समझा जाता जबतक कि, कम्पनीकी घटियोंमें उसका नाम दर्ज न हो। उत्तराधिकारीके नाम हिस्से लियानेके लिये या तो मृतक हिस्सेदारका रजिस्टर बिल (Bill) अथवा लेटर्स आफ एड मिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) कम्पनीमें रजिस्ट्री करवाना होता है। इसके रजिस्ट्री करवानेके फार्मका नमूना इसी पृष्ठमें दे दिया गया है। उसकी फोस भी द्रासफर फोसके मुताबिक ली जाती है। परन्तु उत्तराधिकार पत्र पर स्टाम्प व्यूटी नहीं लगती।

दी राजपूताना स्वदेशी स्टोर्स कं० लि० अजमेर

मृतक शेअर होल्डरके विरासत नामेके
रजिस्ट्री करानेका फार्म

मृतक शेअर—

होल्डरका

नाम

पूरा पता

व्यवसाय

}

..

...

..

....

..

हिस्सोंकी तादाद व उनकी क्रम संख्या	} नग नं० से । तक
फौत होनेकी तारीख विरासत नामेके रजिस्ट्री	
करानेकी अथवा मजिस्ट्रे- टके सार्टिफिकटकी तारीख	}
घारिसों अथवा	
कार्यवाहकोंका नाम	}
पूरा पता	
व्यवसाय

ता०	विरासत नामा दाखिल करने वालेका नाम	..
घारिसके दस्तखत		..

सं०	शेभर रजिस्टर पृष्ठ	रजिस्ट्रीकी फीस

"THE INDIAN COMPANIES ACT"
1913

Form E
as required by Part II of the Act
(Section 32)

Summary of Share Capital and Shares of the
Company, Limited, made
up to the _____ day of _____ 19
(being the day of the First Ordinary General
Meeting in 19)

Shares of Rs .. each

Nominal Share Capital Rs _____

divided into Shares of Rs . each

Total number of shares taken up to

the date _____ day of _____ 19 which
number must agree with the total
shown in the list as held by existing
members

Number of Shares issued subject to
payment wholly in cash

Number of Shares issued as fully paid
up otherwise than in cash Rs ...

Number of shares issued as partly paid
up to the extent of _____ per share
otherwise than in cash. Rs.

There has been called up on each share _____ of shares.	Rs . .
There has been called up on each _____ of shares	Rs .
There has been called up on each _____ of shares	Rs . .
Total Amount of Calls received, including payments on Application and Allottment	Rs . .
Total amount (if any) agreed to be considered as paid on shares which have been issued as partly paid up to the extent of _____ per share	Rs
Total amount of Calls unpaid	Rs .
Total amount (if any) of sums paid by way of commission in respect of shares or debentures or allowed by way of discount since date of last summary	Rs.
Total amount (if any) paid on shares forfeited	Rs .
Total amount of shares and stock for which share warrants are outstanding	Rs .
Total amount of share-warrants issued and surrendered respectively since	

date of last summary Rs . .

Number of shares or amounts of stock comprised in each share-warrant Rs . .

Total amount of debt due from the company in respect of all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies under this Act Rs

1. When there are shares of different kinds or amounts (e g , Preference and Ordinary, or Rs 200 or Rs 100), state the number and nominal values separately

2 Where various amounts have been called, or there are shares of different kinds, state them separately

3 Include what has been received on forfeited as well as on existing share

4 State the aggregate number of shares forfeited (if any)

List of Persons holding shres in the _____ company Limited, on the _____ day of _____ 19_____, and of persons who have

held shares herein at any time since the date of the last return showing their names and addresses and an account of the shares so held

Folio in Register Ledger Containing particulars

Name in full	Fathers Name	Address	Occupation or caste	Number of shares held by existing members at Date of Return	Number	Date of registration of transfer	Number	Date of registration of transfer	Rema- rhs

Names and Addresses of the Persons who are the Directors of the _____ Company Limited, on the _____ day of _____ 19

Names	Addresses.

Names and Addresses of the persons who are the Managers of the _____ Company Limited, on the _____ day of _____ 19

Names	Addresses

Note — Banking Companies must add a list of all thier places of business

I _____ do hereby certify that the above list and Summary truly and correctly states the facts as they stood on _____ day of _____ 19

(Signature) _____

(State whether Director, Manager or Secre-

tary)

- 1 State the aggregate number of shares forfeited (if any)
 - 2 The aggregate number of shares held, and not the distinctive numbers must be stated, and the column must be added up through out so as to make one total to agree with that stated in the Summary to have been taken up
 - 3 When the shares are of different classes these columns may be subdivided so that the number of each class held, or transferred may be shown separate
 - 4 The date of registration of each transfer should be given as well as the number of shares transferred on each date The particulars should be placed opposite the names of the Transferor, and not opposite that of the Transferee, but the name of the Transferee may be inserted in the "Remarks" column, immediately opposite the particulars of each Transfer
-



आडन के ज्ञात

-०८-

अज्ञात भङ्गकी सजा ।



आइनके ज्ञात व अज्ञात भंगकी शिक्षा (सजा)

二四

आयरणक कार्य और उनका भङ्ग आइनकी धारा शिक्षा (सजा)
 हिस्ताव रिसीवर द्वारा या ११६ रु०५०० तक जुर्माना
 मासिक आँकडेका अपराधी—रिसीवर
 रजिस्ट्रारके दफतरमें दाखिल करना—

शीअरोंकी धारा १०१ के १०२ कपनी पवम् हिस्सेदार दोनों
बैटनी विरुद्ध बैटनी की क्षति पूर्ण करना इसकी
करना अधिक बैटनीके दिवस से दो
वार कर सकी है। अप०—
वे डायरेक्टर (सचालक) जो
जान बूझकर भड़ करते हैं,
अथवा करवाते हैं।

” वे टिकट शेअरोंकी
बैटनीका पत्र देना १०४
बैटनोसे एक मासमें
रजिस्ट्रारके दपतरमें
बैटनीकी फेहरिस्त
दाखिल न करना
और रजिस्ट्रार को
जाँच पड़तालफे
३४

स्थाप आइनके अनुसार जवतक
फेहरिस्त आदि दाखिल न
किये जाँय तबतक प्रति दिव-
सका रु०५००] तक जुर्माना।
अप०—जो कपनीका हुक्काम
जान घुम्कर यह भड़ करे।

लिदे पूर्ण अथवा
अपूर्ण भर दिये गये
हिस्सोंके कण्टाफटों
फो पेश करना ।

धार्यिक आँकड़ा-आइनके अनु १३१ रु० १०००) तक जुर्माना ।

सार प्रत्येक अप०-कपनी एवम् उसके
१५ महीनेमें न हुक्काम जो ऐसा जान वूझ

हीं तैयार करना । कर करे । अप०—उक्त ही ।

" कपनीके आडोट्टर "

द्वारा आडिट न
करना ।

" एक प्रति कपनीके "

प्रत्येक हिस्सेदा
रोंको साधारण
सभाके ७ दिवस
पहले न भेजना ।

" कपनीके द्वैनेज १३३ रु० ५०० तक जुरमाना ।

र डायरेक्टर अप०—उक्त ही ।

आदिकी सही
विना काम प्र-
काशित च वितर
ण करना ।

लेनदारोंके नाम जो हुक्माम जान वूझकर^१
छुपाना । ऐसा करे अथवा करनेमें
साथ दे ।

फण्ट्रॉफ्ट मैनेजर अथवा ११(डी) रु० २००) तक जुर्माना
ऐजेएटका कंपनीकी तरफसे घ कम्पनीको इच्छापर
कम्पनीका नाम कण्ट्राफृ का पूरा करना न
लिखे बिना करना, अप०—मैनेजर व ऐजेएट पर
परन्तु डायरेक्टरों न करना निर्भर रहना ।
के ससक्ष उसकी
शर्तें आदि न
पेश करना ।

डिवेश्वर बिना रजि १२२ (३) रु० १०००) तक जुर्माना
स्ट्रारके सर्टि अप०—जो शास्त्र जान वूझकर
फिल्मके निकालना ऐसा करे अथवा करावे ।

सार्टिफिकृ डिवेश्वर, डिवे १०८ प्रति दिवसका ५०) जुर्माना
ज्वर स्थाप अप०—कम्पनी अथवा उस
अथवा श्रेअ- का आफीसर जो ऐसा करे ।
रोंका सार्टि-
फिकट धैटनी-
से ३ महीनेमें

आडिटरकी अंकोंके साथ १३१ १०००) रु० जुर्माना

रिपोर्ट— न देना और
हिस्सेदारोंको
न घताना—

रुपया उधार-धारा १०३ से १०३ प्रति दिवसका का रु० ५००।

लेना— विरुद्ध उधार जुर्माना। अप०—जो मनुष्य
लेना। इस प्रकार काम करे।

व्यापार धारा १०३ के १०३
अनुसार रजि-
स्ट्रारकासार्टि
फिकट प्राप्त कि-
ए यिना शुरू क-
करना।

आइन विद्वित १४७ ऐसे समयके कम्पनीके देने
न्यूनतम सख्त्या के जिम्मेदार हैं।

से भी न्यून मेम्बरोंसे छ महिनेसे अप०—ग्रत्येक मनुष्यजो
अधिक काम ऐसा करे पृथक २ रुपसे
करना।

लेनदार कम्पनीकी पूँजी ६५ एक सालका कारा वास
घटाने पर एत- अथवा जुर्माना अथवा
राज करने वाले दोनों। अप०—कम्पनीका

लेनदारोंके नाम जो हुकाम जान वूझकर
छुपाना । ऐसा करे अथवा करनेमें
साथ दे ।

फण्ट्राफट मैनेजर अथवा ६१(डी) रु० २००) तक जुर्माना
ऐजेएटका कप व कम्पनीकी इच्छापर
नीकी तरफसे फण्ट्राफट का पूरा करना न
कम्पनीका नाम करना निर्भर रहना ।
लिखे चिना करना, अप०—मैनेजर य प्रेजेएट पर
परन्तु डायरेक्टरों न करना निर्भर रहना ।
के ससक्ष उसकी
शर्तें आदि न
पेश करना ।

डिवेश्वर बिना रजि १२२ (३) रु० १०००) तक जुर्माना
स्टारके सर्टि अप०—जो शास जान वूझकर
फिकूके निका ऐसा करे अथवा करावे ।
लना

सार्टिफिकृ डिवेश्वर, डिवे १०८ प्रति दिवसका ५०) जुर्माना
ज्वर स्टाप अप०—कम्पनी अथवा उस
अथवा शेअ- का आफीसर जो ऐसा करे ।
रोंका सार्टि-
फिकट बैटनी-
से ३ महीनेमें

न देना ।

" तगादलेका " "
सार्टिफिकट
दापिलेकी
तारीखसे ३
महीनेमें न
देना ।

संचालक इनकी सूची ८७ प्रति दिवसका रु० ५०) जु०
डायरेक्टर अथवा इनमें अप०—कम्पनी व उसके हुक्माम
परिवर्तनकी दोनों जो ऐसा जान बूझकर
इतला रजि- करें अथवा करावे ।
स्टार्को न
देना

" उपयुक्त हि- ८५ अवधि खतम होनेसे प्रत्येक
स्सोंके लि- दिवसका रु० ५०) जुर्माना ।
ये विना दो अप०—अनुपयुक्त संचालक
महीनेसे अ-
धिक तक
काम करते
रहना ।

" प्रिना स्वी- ८४ रु० ५००) का " ।
फार किये " " अफसर

हुए मनु-

ज्योका ना-

म लिख क

र सूची देना

” कम्पनीसे ८५० रु० १००० तक जुर्माना

किये हुए अप०—जो डायरेक्टर ऐसा करे

कट्राफ्टोसे

अपना सबध

अन्य डाय

रेफ्टरोसे प्र

काशित न

करना ।

” ऐसे कट्रा ६१ वी रु० १००० तक जुर्माना

फूरोंके वि- तथा बोद अमान्य होना ।

पथमें सबध अप०—उपरोक्त

रखने वालों

का मत देना

” कम्पनीके द्वी ६१ सी० दण्ड उपरोक्त

नेजर आदि

अप०—कम्पनी व उस

की नियुक्ति

के प्रत्येक अफसर जो

में अपने स

ऐसा करे

स्वन्धको अ

प्रकट करना

काम समेटना। काम समे- २१७ (५) प्रति दिवसका रु० ५०)
 टनेकी आ अप०—वह व्यक्ति जिसकी
 शाकी प्रमा- प्रार्थना पर अदालतसे यह
 णिक नकल आङ्गा दी जाय
 रजिस्ट्रारके
 दफतरमें दा-
 खिल न करना
 इकरार नामे पर्यात टिकट स्टाम्प आइनके अनुसार
 आदि न लगाना
 घनावटी हिसाय-काम समेटी हुई कम्पनी ३३६ सात वर्ष तकका
 के हिसायकी वहियोंमें कारावास पवम्
 झूठे हिसाय लिखना। जुरमाना। अप०
 जो व्यक्ति इस प्र-
 कारका काम करे

झूठी शहदत-जान चू भक्त फँपनीके २३८ "

काम समेटते समय

झूठी गवाही देना।

झूठा पत्र—किसी छोरेमें आँकडे २८२ "

आदि अन्यान्य पत्रमें झूठा

यान करना।

विदेशी करनियाँ—जो धारा २७७, २७७ रुपया ५०० और प्रति

का पालन न
करे ।

दिवसका ५०] जुर-
माना अप० — वह
कपनी और व्यक्ति
जो ऐसा न करे ।

विगत इत्यादि-रजिस्ट्रारके मांगने १३७ प्रति दिवसका रु० ५०]
पर व्यौरे आदि का जुर्माना । अप०—कपनी
सुलासा न करना एवम् वह कारिन्दा जो
ऐसा जान धूम्खकर करे
अथवा करा दे ।

वहियोंकी जाँच—इत्तला मिलने पर १४० प्रत्येक दोपके ५०]
जाँचके लिये पेश रु० जुरमाना ।
करनेसे इन्कार
करना ।

” कपनी द्वारा नियु
क इसपेकटरोंको दरड उपरोक्त ।
जाँचके लिये न „ अप०—कपनीके प्रत्येक
देना । अफसर ।

लिमिटेड—शब्दका विना रजिस्ट्री २८३ जबतक यह उपयोग
कराये उपयोग । किया जाय प्रति दिव-
सका ५०] जुरमाना ।
अप०—वह व्यक्ति जो
ऐसा करे ।

लिकिंडेटर—को नियुक्तिकी इत्तला २०८	"	
रजिस्ट्रारको न करना।	अप०—लिकिंडेटरसे	र।
मेमोराल्डम आफ—परिवर्तनके पश्चात् ५० प्रति दिवसका रु०१०।		
एसोसियेशन अपरिवर्तित प्रति जुर्माना अप० कपनी		
देना।	एवम् वह व्यक्ति	
	जो ऐसा करे।	
" शेखर होल्डरोंको २५ प्रत्येक अपराधीके		
मागने पर व कंप	लिये १०० रु०।	
नीकी नियत फीस	अप०—कपनी।	
भर देनेपर भी प्रति		
न देना।		
पूँजी—	पूँजी अथवा हिस्से ५३ प्रति दिवसका रु०	
	दारोंकी बृद्धिकी	५०० अप०—कपनी
	इत्तला रजिस्ट्रारके	एवम् प्रत्येक अफसर
	दफतरमें दायित न	जो ऐसा करे।
	करना।	
डिवेश्वर—	रजिस्ट्री न कराना। १२२ (८) रु० १००० तक	
		जुर्माना।
		अप०—उपरोक्त
कपनीका काम—फार्मालियके घाहर ७४ रु० ५०० तक प्रति		
नामका साइन	दिवस जुर्माना।	
		अपराधी—पूर्वोक्त

बोर्ड न लगाना ।

कामनसील अथवा ७४ रु० ५००] तक जुर्माना

अन्याय कागजोंका अप०—कंपनीका वह
न लगा होना । अफसर जो ऐसा करे,

प्रासपेस्टस— डायरेक्टरोंकी सही (६२) रु० ५००] तक प्रति

की एक प्रति रजि दिवस जुर्माना ।

स्ट्रारके दफतरमें दा अप०—कंपनी एवम्

पिल किये गिना प्रत्येक अफसर जो

प्रकाशित करना । ऐसा करे ।

प्रासी (अधि- गिना टिकटकी प्रा रु० ५००] तक जुर-

कार पत्र) वसीके अधिकार माना । अप०—रिसी-

पर बोट देना । वर ।

रिसीवर— पदरिक करनेकी ११६ "

इत्तला रजिस्ट्रारके

यहा न देना ।

अपनी नियुक्तिकी ११८ प्रति दिवस रु० ५०]

इत्तला रजिस्ट्रारके तक जुर्माना ।

यहाँ न देना ।

अप०—वह व्यक्ति
जो ऐसा करे ।

रजिस्टर्ड ऑफिस के स्थानकी सूचना ७२ "

रजिस्ट्रारके यहा

अप०—कंपनी

लेकिंबडेटर—की नियुक्तिकी इत्तला २०८	"	
रजिस्ट्रारको न करना।	अप०—लिंगिडेटरेटर।	
मेमोरांडम थाफ-परिवर्तनके पश्चात् ५० प्रति दिवसका रु०१०।		
एसोसियेशन अपरिवर्तित प्रति जुर्माना अप० कपनी		
देना।	पवम् वह व्यक्ति	
	जो ऐसा करे।	
" शेवर होल्डरोंको २५ प्रत्येक अपराधीके		
मागने पर व कंप लिये १०० रु०।		
नीकी नियत फोस अप०—कपनी।		
भर देनेपर भी प्रति		
न देना।		
पूँजी— पूँजी अथवा हिस्से ५३ प्रति दिवसका रु०,		
दारोंकी वृद्धिकी ५० अप०—कपनी		
इत्तला रजिस्ट्रारके पवम् प्रत्येक अफसर		
दपतरमें दायिल न जो ऐसा करे।		
करना।		
डिवेन्चर— रजिस्ट्री न कराना। १२२ (८) रु० १००० तक		
	जुर्माना।	
	अप०—उपरोक्त	
कपनीका काम—कार्यालयके घाहर ७४ रु० ५० तक प्रति		
नामका साइन दिवस जुर्माना।		
	अपराधी—पूर्वोक्त	

बोर्ड न लगाना ।

कामनसील अथवा ७४ रु० ५००] तक जुर्माना
अन्याय कागजोंका अप०—कंपनीका वह
न लगा होना । अफसर जो ऐसा करे,

प्रासपेक्टस— डायरेक्टरोंकी सही (६२) रु० ५००] तक प्रति
की एक प्रति रजि दिवस जुर्माना ।
स्ट्रारके दफतरमें दा अप०—कंपनी पद्धम्
पिल किये विना प्रत्येक अफसर जो
प्रकाशित करना । ऐसा करे ।

प्रासी (अधि- विना टिकटकी प्रा- रु० ५००] तक जुर-
कार पत्र) वक्सीके अधिकार माना । अप०—रिसी-

पर बोट देना । वर ।

रिसीपर— पदरिक्त करनेकी ११६ „
इत्तला रजिस्ट्रारके
यहाँ न देना ।

“ अपनी नियुक्तिकी ११८ प्रति दिवस रु० ५००]
इत्तला रजिस्ट्रारके तक जुर्माना ।
यहाँ न देना ।

अप०—वह व्यक्ति
जो ऐसा करे । ”

रजिस्टर्ड आफिस के स्थानकी सूचना ७२
रजिस्ट्रारके यहा

दाखिल न करना ।

रजिस्टर्ड पता	„	अप०—कंपनी
डायरेक्टरोंकी—न रखना और न ८७	जुर्माना प्रति दिवस	
सूची उसकी प्रति रजि-	रु० ५० तक ।	
स्ट्रारके यहाँ दा-	अप०—कंपनी एवम्	
खिल करना ।	जो व्यक्ति ऐसा करे	
मेंबरोंकी सूची—धारा ३१ के अनु- ३१	अथवा करावे ।	
सार न रखना ।	उपरोक्त जुर्माना ।	
„ जाँच करानेसे अ ३६ प्रत्येक इन्कारका रु०	अप०—जो करे अथवा	
थवा प्रति देनेसे २०) जुर्माना एवम्	करावे ।	
इन्कार करना ।	जबतक यह रहे तबतक	
	प्रति दिवसका रु० २०)	
	जुर्माना ।	
	अप०—उपरोक्त ।	
„ शेषर वाररट देने ४७ प्रति दिवसका ५० रु०		
पर इनको दर्ज न	जुर्माना । अप०—उक्त	
करना ।		
„ शेषर वाररट देने ४५ उस व्यक्तिकी क्षति		
वाले व्यक्तिका वा	पूर्ण करना । अप०—	
ररट जमा करते	कम्पनी ।	

समय नाम न
लिखना।

फटाकूंकोंकी सूची वि० २ नकदके १०४ घी० प्रति दिवसका रु०
पूर्ण अथवा व्यू० ५०० जुर्माना। अप०—
र्ण भरे दिये गये कम्पनीका प्रत्येक वाफ
हिस्सोंके इकारार सर जो ऐसा करे।
नामोंके रजिस्ट्रार
की जाँच आदिके
लिये उपलित
करना।

डिपेन्चर होटलरों प्रति देनेसे १२० प्रति दिवस रु० २० का
की सूची अथवा जाच जुर्माना।
से इन्कार अप०—जल्दी एवं
करना। दलदा यह अफसर जो
गिरा दरै।

मार्गेज नूची न भरना १२३ रु० ५०० नकदा जुर्माना
अथवा घी० ५०० अप०—प्रत्येक ढाइरेक्टर
र्सौ रुपयम भ यैन्डेजर अथवा अफसर जो
करना। गिरा करे।
प्रति दिवस १२४ (—) प्रति दिवसका रु० २०
अथवा ५० जुर्माना।
अप० ५० अप०—कम्पनी एवं उसका

कार करना ।

प्रत्येक अफसर जो ऐसा करे ।

विशेष घ अस्ता प्रत्येकमें ८२ (५) धारण प्रस्ताव मेमोरण्डम य आर्टि-
फल्समें एक छपी प्रति न लगाना चा-
हिये एचम् प्रत्येक हिस्से-
दार को न भेजना ।

” रजिस्ट्रार के ८२ (४) प्रत्येक दिवसका रु० २० यहाँ एक प्रति अपराधी—उपरोक्त दायिल न करना ।

विशेष प्रस्ताव डार्देकृरोंकी ७१ प्रत्येक दिवसका रु० १० जोपम अप जुमाना ।
रिमित करने वाले विशेष प्रस्ताव की प्रति रजिस्ट्रार के यहाँ दायिल

न करना उसके
समर्थनके प्रश्नात
प्रत्येक मेमोरण्डम
अथवा आर्टिकल्स
के साथ इस की
प्रति न लगाना ।

" कायस भरनेके २०६ प्रति दिवसका ५०)
विशेष प्रताव जुर्माना :
की प्रति रजि-
स्टारके यहाँ न
भेजना ।

काम समेटनेकी रजिस्ट्रार के २१७ (३) प्रति दिवसका ५०)
व अन्तिम समा दफ्तर लिकी- जुर्माना अप०—लिकी-
फी सूचना डेटर द्वारा डेटर ।
दाखिल किया
जाना ।

हिस्से छोटे हिस्सों ५१ जुर्माना उपरोक्त । अप०—
को घडे हि- कम्पनी व उसका प्रत्येक
स्सोमें घटेको अफसर जो ऐसा करे ।
छोटोमें अथवा
हिस्सोंको स्थाक
में परिवर्तन कर- ;

कर्मपनी व्यापार इवेशिका

नेही इत्तला रजिस्ट्रार
को दफतरमें १५
दिवसके भीतर न
देना ।

पूँजी कम करना पूँजी कम करनेको ६२ प्रति
इत्तला रजिस्ट्रारके ८०
यहाँ न देना ।

” कमीका प्रस्ताव प्रत्येक ६२
क प्रतिके साथ न
भेजना ।

पूँजी वृद्धि— पूँजी वृद्धिकी इत्तला ५३ प्रति
रजिस्ट्रारको न देना । ५०
अपर्याप्त

पूँजी— प्रत्येक विश्वापन आदि ७५ रु.
अधिकारित पूँजीके साथ जुर्म
भराई हुई एवम् जमा उत्तर
कराई हुई पूँजीकी तादाद
न लिखना ।

पत्रक— कर्मनो आईनके ३ रे परि १३६ प्रति
शिष्टके जो फार्मके अनु
सार भरकर रजिस्ट्रारके
यहाँ न देना ।

लिक्हीडेर छारा फार्य २४४ प्रति दिवसका
 समेटे जानेवाली कप ८० ५००) तक जुर्माना
 नी इत्तलाको नियमित अप० लिक्हीडेर।
 समयके भीतर न पहुँचा ना ।

कपनीके लेनदारोंको " "
 प्रति न देना ।
 विहापन (प्रोस्पेक्टस) १००- क्षति पूर्ण फरना ।
 मैं संशयात्मक बात, अप० न्है व्यक्ति जो
 लिखना जिससे हिस्से देसी- संशयात्मक
 खरीदने वालेको क्षति बात लिखने दे ।
 हो ।

स्ट्रेटरी रिपोर्ट-प्रत्येक हिस्सेदारोंको ७७ प्रत्येक दिवसका
 प्रति न भेजना और २० जुर्माना । अप०
 रजिस्ट्रारके यहाँ भी प्रत्येक डायरेक्टर
 दाखिल न फरना । जो घेसा करे ।
 डायरेक्टरका—जिस प्रबन्ध अयवा ६१०० रु० १००० तक
 गता देना । कंट्राक्टसे डायरेक्टर जुर्माना । अप० वह
 का सम्बन्ध हो उसके डायरेक्टर जो घेसा
 घियर्में मत देना । फरे ।

॥७॥
 समाप्त ॥८॥

यारोपक

प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानियोंमें केरट और वकर्लेका स्थान घडा ही जँचा है। योरोप निवासी उक्त दोनों तत्त्वज्ञानियोंके ग्रन्थोंको बहुत आदरकी दृष्टिये देखते हैं। योरोपमें नास्तिकवादकी जड़में कुठाराधात इन्हीं दोनों तत्त्वज्ञानियोंने किया है। इनके ग्रन्थ बहुत ही उच्चकोटिके हैं। जो लोग अंग्रेजी भाषाके ग्रथ पढ़ सकते हैं वे तो उनके लिये मूल ग्रन्थोंका स्वाध्याय कर अपनी ज्ञान पिपासा सहज ही शान्त कर सकते हैं। किन्तु वे लोग जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते उनके लिये हिन्दी भाषामें उक्त दोनों तत्त्वज्ञानियोंके ग्रन्थोंका निचोड तथा सक्षिप्त जीवन चरित्र भी तैयार कराकर प्रकाशित कराया गया है। इसलिये आप अभी एक कार्ड हारा —

“वकर्ले और केरटका तत्त्वज्ञान”

नामी पुस्तक मँगाकर पढ़ लीजिये। यद्यपि तत्त्वज्ञानका विषय गहन होनेसे नीरस और असुचिकर होता है, तथापि इस पुस्तकके पढ़नेमें आपका जी लगेगा। पढ़ते समय उपन्यासकासा आनन्द आवेगा। हरेक विषय अच्छी तरह समझमें आ जावेगा। मूल्य ॥) छपाई, सफाई। कागज घगैरह देख कर आप सन्तुष्ट हो जावेंगे। पता —

“ग्रंथ-भारत हिन्दी साहित्य-समिति इन्डौर

